<u>न्यायालयः- सेशन न्यायाधीश, झालावाड (राज.)</u>

पीठासीन न्यायाधीश–**आलोक सुरोलिया**, R.J.S.(D.J.Cadre)

सेशन प्रकरण संख्या-**268/2023**

<u>CIS No.**279/2023**</u>

राजस्थान राज्य...**अभियोगी**

ब ना म

अब्बास अली पुत्र जोयब अली बोहरा, आयु 44 वर्ष, निवासी-नीमच, पुलिस थाना-नीमच, जिला-नीमच, हाल-पुराना बस स्टेण्ड खानपुर, पुलिस थाना-खानपुर, जिला-झालावाड़ (राज.) **.....अभियुक्त**

अपराध अंतर्गत धारा 302 भा.द.सं.

(प्राथमिकी संख्या 283/2023, पुलिस थाना-खानपुर)

<u>उपस्थितः-</u>

1. श्री नरेन्द्र तौमर, विद्वान लोक अभियोजक, राज्य की ओर से।
2. श्री तनवीर आलम, विद्वान अधिवक्ता, अभियुक्त की ओर से।

निर्णय

दिनांकः-07.05.2026

अभियुक्त अब्बास अली के विरुद्ध यह विचारण धारा 302 भा.द.सं. के तहत पुलिस थाना-खानपुर द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 283/2023 में प्रस्तुत आरोप-पत्र पर किया गया है।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि दिनांक 28.08.2023 को परिवादी अली हुसैन ने सी.एच.सी. खानपुर पर पुलिस को एक लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श पी.1) इन तथ्यों की पेश की कि वह खानपुर का रहने वाला है। आज मस्जिद में प्रोग्राम होने से उसके चाचा की लड़की यासमीन व उसका बड़ा लड़का मस्जिद में खाना खाने गए थे। घर पर यासमीन का पति अब्बास अली व छोटा लड़का मोहम्मद उम्र 01 वर्ष करीब थे। यासमीन के पति अब्बास को दस्त हो रहे थे, तो खाना खाने नहीं गए थे। यासमीन खाना खाकर वापस घर पर आई, तो घर का ताला लगा हुआ था। अब्बास वहाँ पर नहीं था, तो यासमीन ने अपने पति के फोन लगाया, तो फोन नहीं उठाया, तो यासमीन ने वापस मस्जिद में आकर बताया। फिर उन्होंने आसपास अब्बास की तलाश की, नहीं मिला तो उन्होंने घर का ताला तोड़ा, तो अंदर छोटा बच्चा एक वर्ष का मोहम्मद मृत मिला, तो वे मोहम्मद को अस्पताल लेकर आए हैं। बच्चे की मौत दम घुटने व अन्य कारण से हुई है, जिसकी जाँच की जावे। अब्बास उसी समय से घर से गायब है। उन्हें शक है कि अब्बास बच्चे को मारकर भाग गया है, इत्यादि।

3. उक्त लिखित रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना, खानपुर में प्राथमिकी संख्या 283/2023 अपराध अंतर्गत धारा 302 भा.द.सं. **(प्रदर्श पी.6)** पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। बाद आवश्यक अनुसंधान अभियुक्त के विरुद्व अपराध अंतर्गत धारा 302 भा.द.सं. के विचारण हेतु पुलिस थाना, खानपुर की ओर से आरोप-पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट, खानपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिनके द्वारा दिनांक 29.11.2023 को अभियुक्त के विरुद्ध उक्त अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अपराध अन्तर्गत धारा 302 भा.द.सं. अनन्य रूप से सेशन न्यायालय द्वारा विचारण योग्य होने से प्रकरण विधिवत सुनवाई एवं निस्तारण हेतु इस न्यायालय को सेशन सुपुर्द किया गया, जो दिनांक 12.12.2023 को प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया।

4. दिनांक **17.05.2024** को उभय पक्ष की बहस आरोप सुनी जाकर अभियुक्त को अपराध अंतर्गत धारा 302 भा.द.सं. का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया एवं समझाया गया, तो अभियुक्त ने आरोप सुन-समझकर अपराध अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

5. अभियोजन पक्ष द्वारा आरोपों के समर्थन में **मौखिक साक्ष्य** में निम्नलिखित साक्षीगण के बयान लेखबद्ध करवाए गएः-

क्र.सं.	**साक्षी क्रम**	**साक्षी का नाम**
01.	पी.डब्ल्यू.1	घनश्याम मीणा
02.	पी.डब्ल्यू.2	अली हुसैन
03.	पी.डब्ल्यू.3	शाकिर हुसैन
04.	पी.डब्ल्यू.4	यास्मीन
05.	पी.डब्ल्यू.5	अली असगर
06.	पी.डब्ल्यू.6	इस्माईल अली
07.	पी.डब्ल्यू.7	डॉ. महावीर
08.	पी.डब्ल्यू.8	सांवरमल
09.	पी.डब्ल्यू.9	राजेश कुमार
10.	पी.डब्ल्यू.10	विश्वेन्द्रसिंह
11.	पी.डब्ल्यू.11	रतनलाल
12.	पी.डब्ल्यू.12	रामकिशन

6. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रलेखीय एवं भौतिक साक्ष्य में निम्नलिखित दस्तावेजात प्रदर्शित करवाए गएः-

क्र.सं.	**दस्तावेज**	**दस्तावेज का विवरण**
01.	प्रदर्श पी.1	लिखित रिपोर्ट
02.	प्रदर्श पी.2	फर्द पंचायतनामा लाश मृतक मोहम्मद
03.	प्रदर्श पी.3	पोस्टमार्टम रिपोर्ट मृतक मोहम्मद
04.	प्रदर्श पी.4	फर्द फोटोग्राफी लाश मृतक मोहम्मद
05.	प्रदर्श पी.5	फर्द सुपुर्दगी लाश
06.	प्रदर्श पी.6	चाक एफ.आई.आर.
07.	प्रदर्श पी.7	घटनास्थल का नक्शा-मौका
08.	प्रदर्श पी.8	फर्द जब्ती मोबाईल आईटेल कम्पनी का
09.	प्रदर्श पी.9	फर्द निरीक्षण दरवाजा/वीडियोग्राफी
10.	प्रदर्श पी.10	गवाह शाकिर हुसैन का पुलिस बयान
11.	प्रदर्श पी.11	यासमीन का धारा 164 द.प्र.सं. का बयान
12.	प्रदर्श पी.12	गवाह यासमीन का पुलिस बयान
13.	प्रदर्श पी.13	गवाह इस्माईल अली का पुलिस बयान
14.	प्रदर्श पी.14	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त
15.	प्रदर्श पी.15	फर्द तस्दीक नक्शा-मौका घटनास्थल
16.	प्रदर्श पी.16	फर्द निरीक्षण घटनास्थल/वीडियोग्राफी
17.	प्रदर्श पी.17	फर्द जब्ती ताला चाबी
18.	प्रदर्श पी.18	पुलिस अधीक्षक झालावाड़ का एफ.एस.एल. कोटा को अग्रेषण-पत्र
19.	प्रदर्श पी.19	एफ.एस.एल. प्राप्ति रसीद
20.	प्रदर्श पी.20	मालखाना रजिस्टर की प्रविष्टियां
21.	प्रदर्श पी.21 व 22	अभियुक्त की धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचनाएं
22.	प्रदर्श पी.23 लगायत 26	मृतक मोहम्मद के फोटोग्राफ्स
23.	आर्टिकल-1 व 2	सी.डी.

7. अभियोजन साक्ष्य की समाप्ति पर अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा 313 जाब्ता फौजदारी किया गया, जिसमें अभियुक्त ने गवाहान के बयानात को गलत होना, गवाहान द्वारा झूठ बोलना बतलाते हुए स्वयं का निर्दोष होना व झूठा केस बनाया जाना कथन किया। अभियुक्त द्वारा कोई साक्ष्य-सफाई पेश नहीं करना चाहा गया।

8. उभय पक्ष की बहस अंतिम सुनी गई। **विद्वान लोक अभियोजक** का तर्क है कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह बखूबी सिद्ध है कि घटना की दिनांक को दिन में अभियुक्त की पत्नी अपने छोटे पुत्र को अभियुक्त के पास छोड़कर खाना खाने गई थी और जब वापस आई तब अभियुक्त मौके पर नहीं मिला एवं उसका छोटा पुत्र कमरे में मृतावस्था में मिला था। जब मृतक मोहम्मद उसके रिहायशी घर में अभियुक्त के साथ था, तो उसकी मृत्यु कैसे हुई और अभियुक्त मौके पर नहीं मिला है, तो उसके द्वारा अपने छोटे पुत्र को कब और किस परिस्थिति में घर पर छोड़ा गया, यह तथ्य अभियुक्त को स्पष्ट करना चाहिए था, परंतु अभियुक्त की ओर से लेशमात्र भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। अतः यह उपधारणा की जाएगी कि अभियुक्त के द्वारा मृतक की हत्या कारित की गई है। इस प्रकार अभियोजन ने अपने प्रकरण को मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से संदेह से परे साबित कर दिया है कि अभियुक्त ने दिनांक 28.08.2023 को समय दिन के दो-ढाई बजे के बीच खानपुर में अपने छोटे लड़के मोहम्मद की मृत्यु कारित करने के आशय व ज्ञान के साथ उसका गला घोंटकर उसकी मृत्यु कारित कर हत्या की। इस तरह से अभियोजन ने अपने प्रकरण को साबित कर दिया है।

9. **विद्वान अधिवक्ता, अभियुक्त** द्वारा बहस करते हुए तर्क दिया गया कि अभियोजन की सम्पूर्ण साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध कोई मामला प्रमाणित नहीं हुआ है। महत्वपूर्ण गवाहान **पी.ड.3** शाकिर हुसैन, **पी.ड.4** यास्मीन व **पी.ड.6** इस्माईल अली पक्षद्रोही घोषित हुए हैं तथा अभियोजन का समर्थन नहीं करते हैं। परिवादी पी.ड.2 अली हुसैन द्वारा भी अभियुक्त के विरुद्ध कोई लिप्तकारी साक्ष्य नहीं दी गई है। घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्य भी श्रृंखलाबद्ध होकर इस प्रकृति की नहीं है, जिसके आधार पर निश्चित रूप से सिर्फ अभियुक्त को दोषी माना जा सके। धारा 106 भारतीय साक्ष्य अधिनियम अभियोजन पक्ष द्वारा अन्य तथ्यों को साबित करने के पश्चात ही प्रभाव में आ सकती है। अंतिम बार देखे जाने की साक्ष्य अपने आप में निर्णायक नहीं होती है एवं केवल अभियुक्त के Non Explanation के आधार पर यह नहीं माना जा सकता है कि उसने अपराध किया है। घटनास्थल पहले से ही पुलिस की

जानकारी में था, इसलिए घटनास्थल की मौका सत्यापन की सूचना साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। धारा 161 व 164 सी.आर.पी.सी. के बयान को केवल Contradiction व Corroboration के ही काम में लिया जा सकता है, इनके आधार पर मुल्जिम को दोषी नहीं माना जा सकता है। धारा 27 की सूचना में स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर नहीं हैं, तो ऐसी सूचना साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। प्रकरण में धारा 65 बी साक्ष्य अधिनियम के प्रमाण-पत्र का अभाव है। बरामदगी का तथ्य संदेहपूर्ण है। उपरोक्त समस्त तथ्यों, परिस्थितियों में अभियोजन अपने मामले को संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त को संदेह का लाभ प्रदान कर दोषमुक्त किया जावे। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा दौराने बहस अन्तिम दिए गए तर्कों एवं उन पर न्यायालय का विश्लेषण एवं विवेचन निर्णय की अग्रिम पंक्तियों में किया जाएगा। अपने तर्कों के समर्थन में निम्नलिखित सम्माननीय न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए गएः-

(1) 2016(4) Cr.L.R. (Raj.) 1983, Sandi Ram @ Sanda Versus State of Rajasthan

(2) RCC, Aug. 1987, Page 321, Raju Vs. State

(3) 2019(1) Cr.L.R. (Raj.) 534, Sharvan Ram Nayak Versus State of Rajasthan

(4) 2016(1) Cr.L.R. (Raj.) 303, Surjeet @ Billu & Anr. Versus State of Rajasthan

(5) राजस्थान राज्य बनाम महेश कुमार उर्फ महेश धौलपुरिया और अन्य Decided on 16.07.2019

(6) पूरनमल बनाम राजस्थान राज्य Decided on 16.03.2026 (S.C.)

(7) 2016(2) Cr.L.R. (Raj.) 1030, Narain Versus State of Rajasthan

(8) 2023 Cr.L.R. (SC) 579, Dinesh Kumar Versus State of Haryana

(9) 2014 SAR (Criminal) 445 Supreme Court, Kanhaiya Lal Versus State of Rajasthan

(10) 2019(3) WLC (Raj.) 196 RAJASTHAN HIGH COURT [JODHPUR] TULSI RAM @ SURESH Versus STATE OF RAJASTHAN

(11) 2015(3) Cr.L.R. (Raj.) 1099, Anil Kumar Versus State of Rajasthan

10. उभय पक्षकारान के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण के निर्णय हेतु न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय बिन्दु उत्पन्न हुआ हैः-

(1) क्या अभियुक्त ने दिनांक 28.08.2023 को 14 बजे से 14.30 बजे के बीच खानपुर में अपने छोटे लड़के मोहम्मद की मृत्यु कारित करने के आशय व ज्ञान के साथ उसका गला घोंटकर उसकी मृत्यु कारित कर हत्या की?

(2) यदि 'हाँ', तो अभियुक्त किस दण्ड का भागी है?

11. उपर्युक्त अवधार्य प्रश्नों के संबंध में पत्रावली पर अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य का विश्लेषण करें, तो अभियोजन पक्ष की ओर से कुल **12** साक्षीगण को साक्ष्य में प्रस्तुत कर परीक्षित करवाया गया है।

12. अभियोजन की ओर से परीक्षित करवाए गए साक्षीगण में से **पी.ड.1** घनश्याम **ए.एस.आई.** ने अपने सशपथ बयान में कथन किया है कि वह दिनांक 28.08.2023 को सीएचसी खानपुर में ही था, तभी वहां पर परिवादी अली हुसैन ने एक लिखित परिवाद उसे प्रस्तुत किया। लिखित परिवाद से मामला अपराध अंतर्गत धारा 302 भा.द.सं. का पाए जाने पर उसने उच्च अधिकारियों को हालात निवेदन किये। लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी.1 पर ए-बी स्थान पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा ई-एफ स्थान पर उसकी कार्यवाही पुलिस अंकित है। उसने मृतक मोहम्मद पुत्र अब्बास उम्र 1 वर्ष निवासी खानपुर की लाश का पंचनामा पंचान के समक्ष बनाया, जो प्रदर्श पी.2 है, जिस पर ए-बी स्थान पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने लाश की पोस्टमार्टम हेतु तहरीर चिकित्सक को दी थी, जो प्रदर्श पी.3 है, जिस पर ए-बी उसके हस्ताक्षर हैं। उसने लाश की फोटोग्राफी करवाई थी, जो प्रदर्श पी.4 है, जिस पर ए-बी उसके हस्ताक्षर हैं। बाद पोस्टमार्टम उसने मोहम्मद की लाश को मामा अली हुसैन को सुपुर्द की थी, जिसकी फर्द प्रदर्श पी.5 पर ए-बी उसके हस्ताक्षर हैं। मौके की कार्यवाही कर वापस थाना हाजा पर आया व थाने पर सारी कार्यवाही दस्तावेज थानाधिकारी को पेश की थी। थानाधिकारी ने लिखित रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर प्रदर्श पी.6 चाक की थी, जिस पर ए-बी उसके हस्ताक्षर हैं।

13. साक्षी **पी.ड.2** अली हुसैन प्रकरण का **परिवादी/मृतक की माता यासमीन का चचाजात भाई** है, जिसने अपने सशपथ बयान में कथन किया है कि करीब एक साल पहले की बात है, उस दिन उसके बड़े चाचाजी के चालीसवें की फातिहा मस्जिद में थी तो वह और उसका पूरा परिवार मस्जिद में खाना खाने गये थे,

यासमीन और उसका बड़ा बेटा अली हजगर भी उनके साथ खाना खाने गया था। छोटा बेटा मोहम्मद, जो कि एक वर्ष का था, उसके पिता अब्बास के साथ उसके घर पर ही रूक गया था। मस्जिद से खाना खाकर वह दुकान पर चला गया और यास्मीन उसके घर पर चली गई। थोडी देर बाद उसके पास यास्मीन का फोन आया। यास्मीन ने कहा कि अब्बास घर पर नहीं है और बच्चे के कोई हलचल नहीं है, जिस पर वह यास्मीन के घर पर पहुंचा। बच्चे को लेकर वह अस्पताल गया। बच्चे को अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। वहां पर पुलिसवाले आ गये थे, जिन्हे उसने रिपोर्ट प्रदर्श पी.1 लिखकर दी थी, जिस पर जी-एच स्थान पर उसके हस्ताक्षर हैं। उन्होंने आस-पास अब्बास को भी तलाश किया था, परंतु वह नहीं मिला था। उसने शक के आधार पर अब्बास के विरूद्ध पुलिस को रिपोर्ट दी थी। पुलिस ने मोहम्मद की लाश का पंचनामा बनाया था, जो प्रदर्श पी 2 है, जिस पर सी-डी उसके हस्ताक्षर हैं। अंतिम क्रियाक्रम हेतु मोहम्मद की लाश को उन्हें सुपुर्द किया था, फर्द सुपुर्दगी लाश प्रदर्श पी.5 पर सी-डी उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने लाश की फोटोग्राफी करवाई थी, जो प्रदर्श पी.4 है, जिस पर सी-डी उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करके नक्शा-मौका प्रदर्श पी.7 बनाया था, जिस पर ए-बी उसके हस्ताक्षर हैं। उसने पुलिस को अब्बास का मोबाईल पेश नहीं किया। फर्द जप्ती मोबाईल प्रदर्श पी.8 पर ए-बी स्थान पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसकी निशादेही से पुलिस ने दरवाजे का निरीक्षण किया था, जिसकी फर्द प्रदर्श पी.9 है, जिस पर ए-बी उसके हस्ताक्षर हैं।

14. साक्षी **पी.ड.3** शाकिर हुसैन **मृतक का नाना** है, जिसने अपने सशपथ बयान में कथन किया है कि यास्मीन उसकी लड़की है। मुल्जिम अब्बास अली उसका जंवाई है। करीब एक साल पहले की बात है, वह मस्जिद में किसी के चालीसवें की खाने में खाना खाने गये थे, जहां उसकी लडकी यास्मीन भी उसके बड़े लड़के अजी हजगर के साथ आई थी। यास्मीन का छोटा बेटा मोहम्म्द खाना खाने नहीं आया था। मुल्जिम अब्बास मस्जिद में खाना खाने नहीं आया था। दिन के दो से ढ़ाई बजे करीब वह खाना खाकर उसके घर पर चला गया था। थोड़ी देर बाद उसकी बेटी यास्मीन का उसके पास फोन आया कि पापा मेरा छोटा बेटा मोहम्मद बोल नहीं रहा है, इसको अस्पताल लेकर चलना है, जिसपर वह यास्मीन के घर पर गया। जहां उसे उसकी बेटी घर के बाहर बच्चे को गोद में लिए मिली। जहां से वे लोग अस्पताल चले गये। अब्बास वहां पर नहीं मिला। वे लोग बच्चे को लेकर अस्पताल चले गये। डॉक्टर ने बच्चे को चैक किया व कहा कि यह मर चुका है। उसका नवासा कैसे मरा, उसे पता नहीं, उसे किसी पर

शक नहीं था। उसका जंवाई अब्बास उसकी बेटी यास्मीन को अच्छे से रखता था, उसे परेशान नहीं करता था। इस साक्षी को अभियोजन की प्रार्थना पर **पक्षद्रोही** घोषित किया गया है।

15. साक्षी **पी.ड.4** यास्मीन **मृतक की माता** है, जिसने अपने सशपथ बयान में कथन किया है कि उसकी शादी आज से 18 साल पहले अब्बास अली निवासी नीमच, मंदसौर एम.पी. से हुई थी। उसके दो लड़के बडा अजी हशरद, छोटा मोहम्मद है। उसके सबसे बड़े लड़के बुराहनुद्दीन का दस साल पहले इंतकाल हो चुका है। उसका पति अब्बास दस साल से उसके पीहर खानपुर में ही उसके साथ रह रहा है। उसका पति अब्बास व बच्चे घटना से करीब दो महीने पहले इस्माईल अली के मकान में किराये से रह रहे थे। उस समय उनके परिवार में मोहम्मद भाई जीपवालों के चालीस रूपये की रस्म होने से बोहरा समाज की मस्जिद में खाने का प्रोग्राम रखा गया था। उसने उसके पति से पूछा कि खाना खाने चलो, तो इसने कहा कि मेरे दस्त लग रहे हैं, मैं खाना खाने नहीं चल सकता हूँ, तुम चली जाओ। वह उसके बड़े लड़के अली हशरद को लेकर मस्जिद में चली गई। छोटे लड़के मोहम्मद को उसके पति के पास ही छोड़ गई थी। वह खाना खाकर वापस घर पर आ गई। इसके अलावा घटना की कोई जानकारी उसे नहीं है। उसके बच्चे मोहम्मद की मृत्यु कैसे हुई, उसे इसकी जानकारी नहीं है। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा-मौका प्रदर्श पी.7 बनाया था, जिस पर सी-डी उसके हस्ताक्षर हैं। उसके पति अब्बास ने उसके बेटे मोहम्म्द को नहीं मारा। पुलिस ने उसके अकलेरा न्यायालय में मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष धारा 164 द.प्र.सं. के बयान लेखबद्ध करवाये थे, जो प्रदर्श पी.11 है, जिस पर ए-बी दो स्थान पर उसके हस्ताक्षर हैं। इस साक्षिया को अभियोजन की प्रार्थना पर **पक्षद्रोही** घोषित किया गया है।

16. साक्षी **पी.ड.5** अली असगर ने अपने सशपथ बयान में कथन किया है कि लगभग एक वर्ष पहले ग्राम खानपुर में पुलिस ने मृतक मोहम्मद की लाश का पंचनामा बनाया था, जो प्रदर्श पी.2 है, जिस पर ई-एफ उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने मृतक मोहम्म्द की लाश की फोटोग्राफी की थी, फर्द फोटोग्राफी प्रदर्श पी.4 पर ई-एफ उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने मृतक मोहम्मद की लाश उसके मामा अली हुसैन को सुपुर्द की थी, फर्द सुपुर्दगी लाश प्रदर्श पी.5 पर ई-एफ उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा-मौका प्रदर्श पी.7 बनाया था, जिस पर ई-एफ उसके हस्ताक्षर हैं।

17. साक्षी **पी.ड.6** इस्माईल अली ने अपने सशपथ बयान में कथन किया है कि ग्राम खानपुर में उसके दो दुकाने हैं, जिनमें ताला चाबी व अन्य सामान की दुकान लगा रखी है। ऊपर वाली मंजिल में एक हिस्से में वह उसके परिवार सहित रहता है। दूसरे हिस्से में अब्बास अली निवासी नीमच, मंदसौर एम.पी. अपने परिवार बीवी बच्चों समेत दो महीनो से उसके मकान में किराये से रहता था। यास्मीन व अब्बास के बीच अच्छे संबंध थे। अब्बास उसके बच्चों से प्रेम करता था, उन्हें अच्छे से रखता था। दोनों पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा उसके सामने कभी नहीं हुआ था। पुलिस ने मोबाईल जब्त किया था, फर्द मोबाईल जब्ती प्रदर्श पी.8 पर सी-डी उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस आई थी व दरवाजे का निरीक्षण कर वीडियोग्राफी बनाई थी, फर्द निरीक्षण दरवाजा वीडियोग्राफी प्रदर्श पी.9 पर सी-डी उसके हस्ताक्षर हैं। यह साक्षी अभियोजन की प्रार्थना पर **पक्षद्रोही** घोषित किया गया है।

18. साक्षी **पी.ड.7** डॉ. महावीर शर्मा ने अपने सशपथ बयान में कथन किया है कि वह दिनांक 28.08.2023 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खानपुर पर वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी पद पर कार्यरत था। उस दिन पुलिस थाना खानपुर के पुलिस प्रतिवेदन पर मेडिकल बोर्ड जिसका वह भी सदस्य था तथा उसके अलावा डॉ. नरेन्द्र कुमार स्वामी व डॉ. पंकज भी सदस्य थे, द्वारा मोहम्मद पुत्र अब्बास जाति बोहरा मुस्लमान आयु 1 वर्ष निवासी खानपुर की लाश का पोस्टमार्टम किया था। शव के बाह्य परीक्षण के दौरान उसका चेहरा लाल था और संकुचित था और रिगर मोर्टिज स्टार्ट हो गया था, जो जबड़े और गर्दन पर था। आंख और मुंह आंधे खुले थे और गर्दन के दाहिनी तरफ जबड़े की ऐन्गल से 1cm नीचे और ठोड़ी से 3.5cm नीचे एक रगड़ थीं, जिसकी साईज 1cm x 0.5cm थी। हड्डी और जॉइंट नॉर्मल थे, एक्सटर्नल ऑर्गन नॉर्मल थे। शव के आंतरिक परीक्षण के दौरान स्कल बॉन नॉर्मल थी, झिल्ली संकुचित थी। बेस ऑफ स्कल नॉर्मल थी। स्पाईनल कॉर भी नॉर्मल थी। रिपस वॉल और कार्टिलेज नॉर्मल थी, कोई टूट फूट नहीं थी। लेरिन्ग्स, ट्रेकिया और ब्रॉन्काई संकुचित और छोटे खून के धक्के बने हुए थे। फेफड़ो के अंदर दाहिनी तरफ और बाई तरफ की ओर से दोनों फेफड़े संकुचित थे और खून के दाने दाने के समान धक्के (Petechial) बने हुए थे। पैरीकार्डी इंटेक्ट थी। ह्दय के अंदर लेफ्ट वेंटिकल खाली था और राईट वेंटिकल में खून था। लार्ज वेस्लस नॉर्मल थीं। पेट के अब्डॉमन वॉल नॉर्मल थे। केवेटी नॉर्मल थी। बकल केविटी और टीथ, जबड़ा और फेरिंगस नॉर्मल थे। आहारनाल संकुचित थी। पेट के अंदर का परीक्षण करने पर पेट के

अंदर की म्यूकस मैमरेन संकुचित थी और 30cc ऐलोक्रिमिस फ्यूड परजेंट था। छोटी आंत के अंदर गैस भरी हुई थी और डिस्टेंडेड थी और बड़ी आंत के अंदर के फीकल मैटर परजेंट था। पेन्क्रियाज, स्प्रीन व किडनी तीनों संकुचित थी। यूरिन ब्लड नॉर्मल था। मस्लस हेमेटोमा गर्दन में परजेंट था। राईट स्टेर्नो कैलेडो मास्टोईड मस्ल और राईट फैराट्रेकियर मस्लस और नेक बॉन और कार्टेज नॉर्मल थी। लेरिंग्स और ट्रेकिया संकुचित थे। बाद परीक्षण मेडिकल बोर्ड ने अपनी राय दी थी। मेडिकल बोर्ड की राय में मृत्यु का कारण दम घुटना व मृत्यु से पूर्व मैनुअल स्ट्रेन्गुलेशन था। मृतक का लीवर, स्पलीन, किडनी, आमाशय व छोटी आंत का सैंपल जार ए व बी में संरक्षित कर पुलिस को दिया था। बाद परीक्षण मेडिकल बोर्ड ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की थी, जो प्रदर्श पी.3 है, जिस पर ए-बी स्थान पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा सी-डी स्थान पर मेडिकल बोर्ड की राय अंकित है तथा ई-एफ स्थान पर मेडिकल बोर्ड के सदस्य डॉ. नरेन्द्र कुमार स्वामी व जी-एच स्थान पर डॉ. पंकज के हस्ताक्षर वह साथ कार्य करने से पहचानता है।

19. साक्षी **पी.ड.8** सांवरमल **कांस्टेबल** ने अपने सशपथ बयान में कथन किया है कि दिनांक 29.08.2023 को प्रकरण संख्या 283/2023 अपराध अंतर्गत धारा 302 भा.द.सं. में अनुसंधान अधिकारी रामकिशन गोदारा ने मुल्जिम अब्बास अली पुत्र जोयब अली बोहरा उम्र 44 वर्ष निवासी नीमच हाल निवासी खानपुर को जर्ये फर्द प्रदर्श पी.14 गिरफ्तार किया था, जिस पर ए-बी स्थान पर उसके हस्ताक्षर हैं। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त ने दिनांक 30.08.2023 मुताबिक सूचना धारा 27 साक्ष्य अधिनियम घटनास्थल की तस्दीक करवाई थी, जिस पर अनुसंधान अधिकारी रामकिशन ने फर्द तस्दीक नक्शा-मौका घटनास्थल उसके समक्ष बनाया था, जिस पर ए-बी उसके हस्ताक्षर हैं। उसी दिन अनुसंधान अधिकारी रामकिशन गोदारा ने अभियुक्त द्वारा बताये गये घटनास्थल पर पहुंचकर दरवाजे पर लगे ताले के पास पहुंचकर ताले की चाबी गेट के पास पत्थर के नीचे रखी थी, जिसे निकालकर पेश किया था, उस चाबी से ताले को खोला तो ताला खुल गया था। ताला खुलने पर मकान के अंदर प्रवेश कर मकान के रिहाईशी कमरे में जिस स्थान पर मोहम्मद की हत्या की, उस स्थान को अभियुक्त् अब्बास अली ने ईशारे से बताया था, उक्त घटनाक्रम की वीडियोग्राफी अनुसंधान अधिकारी ने करवाई थी, जिसकी फर्द प्रदर्श पी.16 पर ए-बी उसके हस्ताक्षर हैं। अभियुक्त ने मुताबिक सूचना धारा 27 साक्ष्य अधिनियम अपने रिहाईशी मकान के मेन गेट के पास पत्थर के नीचे से चाबी निकाल कर

अनुसंधान अधिकारी को पेश की थी, जिससे मकान का ताला खोला गया था, उस चाबी व ताले को अनुसंधान अधिकारी रामकिशन ने जब्त कर सीलचिट किया था, जिसकी फर्द प्रदर्श पी.17 पर ए-बी उसके हस्ताक्षर हैं।

20. साक्षी **पी.ड.9** राजेश कुमार **कांस्टेबल** ने अपने सशपथ बयान में कथन किया है कि दिनांक 29.08.2023 को प्रकरण संख्या 283/2023 अपराध अंतर्गत धारा 302 भा.दं.सं. में फरियादी अली हुसैन द्वारा एक मोबाईल itel कंपनी का पेश किया था, जिसे जर्ये फर्द जब्त किया गया था। फर्द जब्ती मोबाईल प्रदर्श पी.8 पर ई-एफ उसके हस्ताक्षर हैं। उसी दिन फरियादी अली हुसैन की निशादेही से घटनास्थल पर जाने का अंदर की तरफ वाले गेट की वीडियोग्राफी की गयी थी, जिसकी फर्द प्रदर्श पी.9 पर ई-एफ उसके हस्ताक्षर हैं। उसी दिन शाम को पांच बजे मुल्जिम अब्बास अली को जर्ये फर्द गिरफ्तार किया गया था, जिसकी फर्द प्रदर्श पी.14 पर सी-डी उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक 30.08.2023 को मुल्जिम की निशादेही से धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के तहत घटनास्थल की तस्दीक कर नक्शा-मौका बनाया था, जिसकी फर्द प्रदर्श पी.15 पर सी-डी उसके हस्ताक्षर हैं। उसी दिन सुबह नौ बजे घटनास्थल की वीडियोग्राफी की गयी थी, जिसकी फर्द प्रदर्श पी.16 पर सी-डी उसके हस्ताक्षर हैं। उसी दिन घटनास्थल में बाहर की तरफ लगा हुआ ताला चाबी जर्ये फर्द जब्त किया था, जिसकी फर्द प्रदर्श पी.17 पर सी-डी उसके हस्ताक्षर हैं।

21. साक्षिया **पी.ड.10** विश्वेन्द्रसिंह **कांस्टेबल** ने अपने सशपथ बयान में कथन किया है कि दिनांक 19.10.2023 को प्रकरण संख्या 283/2023 में थानाधिकारी के निर्देशन पर मालखाना इंचार्ज रतनलाल हेड कानि. ने उसे धारा 302 भा.दं.सं. में जप्तशुदा दो सीलबंद जार आर्टिकल ए व बी संभलाये थे, जिसको रासायनिक परीक्षण हेतु एफएसएल कोटा के लिए मय थाने के अग्रेषण पत्र एस.पी. साहब झालावाड़ के मार्फत भेजा था। जिस पर वह उक्त सीलबंद माल को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय झालावाड आया तथा वहां से एफएसएल कोटा के लिए अग्रेषण पत्र तैयार करवाया था। दिनांक 20.10.2023 को उसने एफएसएल कोटा में उक्त सीलबंद माल को जमा करवाकर रसीद एफएसएल(कोटा)/1588/TOX/23 दिनांक 20.10.2023 प्राप्त कर वापसी थाना पर माल जमा की रसीद मालखाना इंचार्ज को सुपुर्द की थी। जिला पुलिस अधीक्षक झालावाड़ का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी.18 पर ए-बी स्थान पर उसके हस्ताक्षर हैं। एफएसएल माल जमा रसीद प्रदर्श पी.19 है। मालखाना रजिस्टर पर उसके माल एफएसएल ले जाने व वापसी पर रसीद पेश करने का इंद्राज है। असल मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी.20 है, जिस

पर ए-बी उसके हस्ताक्षर हैं तथा सी-डी रवानगी का इंद्राज है तथा ई-एफ स्थान पर वापसी का इंद्राज है, जिस पर ए-बी स्थान पर उसके हस्ताक्षर हैं। मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति पत्रावली पर प्रदर्श पी.20ए है, जिस पर ए-बी उसके हस्ताक्षर हैं तथा सी-डी रवानगी का इंद्राज है तथा ई-एफ स्थान पर वापसी का इंद्राज है, जिस पर ए-बी स्थान पर उसके हस्ताक्षर हैं।

22. साक्षी **पी.ड.11** रतनलाल **मालखाना इंचार्ज** ने अपने सशपथ बयान में कथन किया है कि दिनांक 31.08.2023 को प्रकरण संख्या 283/2023 धारा 302 भा.द.सं. में जप्तशुदा एक मोबाईल आईटेल कंपनी का चिट चस्पा लिफाफा व एक सील्डशुदा पैकेट मार्क-ए जिसमें ताला व चाबी है, जिसे रामकिशन गोदारा एस.एच.ओ. खानपुर द्वारा जप्त कर लाकर उसे पेश किये गये थे, जिसे उसने मालखाना रजिस्टर के क्रमांक 221 दिनांक 31.08.2023 पर इंद्राज कर जमा मालखाना किया था। इसी प्रकरण में उसी दिन सी.एच.सी. खानपुर में एम.ओ. द्वारा पैकेट मार्क ए व पैकेट मार्क बी दो जार सील्डशुदा हालत में पवन कुमार कानि. 1542 ने सी.एच.सी. खानपुर से लाकर पेश किये, जिसका उसने मालखाना रजिस्टर के क्रमांक 221 दिनांक 31.08.2023 पर इंद्राज कर जमा मालखाना किया था। प्रकरण हाजा में जप्तशुदा सील्डशुदा पैकेट मार्क ए व बी को एफएसएल कोटा जमा करवाने हेतु दिनांक 19.10.2023 को विश्वेन्द्र सिंह कानि. 1601 को मालखाना में से निकालकर मय थाने के अग्रेषण पत्र के एफएसएल कोटा के लिए मार्फत एस.पी. झालावाड़ के रवाना किया था। असल मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी.20 पर जी-एच उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक 21.10.2023 को प्रकरण हाजा का माल विश्वेन्द्र सिंह कानि.1601 ने एफएसएल में जमा कर रसीद लाकर पेश की थी, जिसका मालखाना रजिस्टर में इंद्राज कर माल जमा की रसीद अनुसंधान अधिकारी को सुपुर्द की थी, जिस पर जी-एच स्थान पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा आई-जे स्थान पर जप्तशुदा माल का इंद्राज है। मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी.20ए है, जिस पर जी-एच उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक 21.10.2023 को प्रकरण हाजा का माल विश्वेन्द्र सिंह कानि. 1601 ने एफएसएल में जमा कर रसीद लाकर पेश की थी, जिसका मालखाना रजिस्टर में इंद्राज कर माल जमा की रसीद अनुसंधान अधिकारी को सुपुर्द की थी, जिस पर जी-एच स्थान पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा आई-जे स्थान पर जप्तशुदा माल का इंद्राज है।

23. साक्षी **पी.ड.12** रामकिशन **अनुसंधान अधिकारी** ने अपने सशपथ बयान में कथन किया है कि वह दिनांक 28.08.2023 को थाना खानपुर में

थानाधिकारी पद पर पदस्थापित था। उस दिन परिवादी अली हुसैन पुत्र शोयब हुसैन ने उपस्थित थाना होकर डी.ओ. घनश्याम एएसआई के समक्ष एक लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी.1 पेश की थी, जिस पर आई से जे उसके हस्ताक्षर तथा के से एल पुलिस कार्यवाही है। मृतक मोहम्म्द की लाश का पंचायतनामा बनाया था जो प्रदर्श पी.2 है। मृतक का पोस्टमार्टम सीएचसी खानपुर से करवाया था जिसकी रिपोर्ट प्रदर्श पी.3 है। उसके द्वारा घटनास्थल का नक्शामौका प्रदर्श पी.7 गवाहान यास्मीन एवं अली अजगर के समक्ष बनाया था, जिस पर जी से एच उसके हस्ताक्षर हैं। उसी दिन एक मोबाईल आईटेल कम्पनी का जरिये फर्द जप्ती प्रदर्श पी.8 जप्त किया था, जिस पर जी से एच उसके हस्ताक्षर हैं। घटनास्थल पर दरवाजे व कमरे की विडियोग्राफी गवाहान राकेश, ईस्माईल के समक्ष की थी जिसकी फर्द प्रदर्श पी.9 पर सी से एच उसके हस्ताक्षर हैं। सीडी आर्टिकल-1 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। दरवाजे के ताला चाबी की विडियो की सीडी आर्टिकल-2 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। दौराने अनुसंधान उसके द्वारा गवाहान यास्मीन अली, ईस्माईल अली, अली हुसैन, रतनलाल हेड कानि., विश्वेन्द्र कानि. के बयानात उनके कथनानुसार लेखबद्ध कर शामिल पत्रावली किए गए थे। गवाह यास्मीन के धारा 164 सीआरपीसी के बयान मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष करवाये जाकर शामिल पत्रावली किये थे। दिनांक 29.08.2023 को अभियुक्त अब्बास अली बोहरा को गवाहान सांवरमल एवं राजेश की उपस्थिति में थाना परिसर में जरिये फर्द गिरफतारी प्रदर्श पी.14 गिरफ्तार किया था, जिस पर ई से एफ उसके, जी से एच अभियुक्त के हस्ताक्षर हैं, आई से जे अभियुक्त की गिरफतारी की अभियुक्त के जीजा फोजेन अली को दी सूचना है। उसके द्वारा मुल्जिम की निशादेही पर घटनास्थल पर जाकर गवाहान सांवरमल व राजेश की मौजूदगी में तस्दीक नक्शा-मौका प्रदर्श पी.15 बनाया था जिस पर ई से एफ उसके दो स्थानों पर, जी से एच अभियुक्त के हस्ताक्षर हैं। निरीक्षण घटनास्थल की विडियोग्राफी की थी, जिसकी फर्द प्रदर्श पी.16 पर ई से एफ उसके, जी से एच अभियुक्त के हस्ताक्षर हैं। ताला चाबी को वजह सबूत जप्त कर एक कपड़े की थैली में रखकर सीलचिट कर मार्क ए दिया था, जिसकी फर्द प्रदर्श पी.17 है जिस पर ई से एफ उसके, जी से एच अभियुक्त के हस्ताक्षर तथा एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है। जप्तशुदा माल को मालखाना में जमा कराया था, जिसकी प्रति प्रदर्श पी.20ए है, जिस पर के से एल दो स्थानों पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रकरण के वजह सबूत सैम्पलों को एफएसएल जांच हेतु भिजवाया था। पुलिस अधीक्षक का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी.18 है। एफएसएल जमा

रसीद प्रदर्श पी.19 प्राप्त कर शामिल पत्रावली की थी। मुल्जिम अब्बास अली ने स्वेच्छापूर्वक उसे धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचनाएं दी थी। सूचनाएं प्रदर्श पी.21 व पी.22 हैं, जिन पर ए से बी उसके तथा सी से डी मुल्जिम के हस्ताक्षर हैं। मृतक की फोटोग्राफी करवायी थी, जो प्रदर्श पी.23 लगायत पी.26 हैं, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। उसके संपूर्ण अनुसंधान से मुल्जिम अब्बास अली बोहरा के विरूद्ध धारा 302 भा.द.स. का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर आरोप-पत्र न्यायालय में पेश किया था।

24. अभियोजन द्वारा पेश मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का गहनता से अवलोकन किया गया। वस्तुतः हस्तगत प्रकरण का उद्भव मृतक की माता यासमीन के चचाजात भाई अली हुसैन की लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी.1 पर हुआ है, जो उसके द्वारा दिनांक 28.08.2023 को समय 4.50 पी.एम. पर सी.एच.सी. खानपुर में घनश्याम ए.एस.आई. को पेश की गई थी। उक्त रिपोर्ट में परिवादी ने स्पष्ट अंकित किया है कि आज मस्जिद में प्रोग्राम होने से उसके चाचा की लड़की यासमीन व उसका बड़ा लड़का मस्जिद में खाना खाने गए थे। **घर पर यासमीन का पति अब्बास अली व छोटा लड़का मोहम्मद उम्र 01 वर्ष करीब थे।** यासमीन के पति अब्बास को दस्त हो रहे थे, तो खाना खाने नहीं गए थे। यासमीन खाना खाकर वापस घर पर आई, तो घर का ताला लगा हुआ था। **अब्बास वहाँ पर नहीं था, तो यासमीन ने अपने पति के फोन लगाया, तो फोन नहीं उठाया। फिर उन्होंने आसपास अब्बास की तलाश की, नहीं मिला** तो उन्होंने घर का ताला तोड़ा, तो अंदर छोटा बच्चा एक वर्ष का मोहम्मद मृत मिला, तो वे मोहम्मद को अस्पताल लेकर आए। बच्चे की मौत दम घुटने व अन्य कारण से हुई है। **अब्बास उसी समय से घर से गायब है।** उन्हें शक है कि अब्बास बच्चे को मारकर भाग गया है। उल्लेखनीय है कि परिवादी द्वारा उक्त रिपोर्ट प्रस्तुति के समय घटना, दिनांक 28.08.2023 को समय दिन के दो-ढाई बजे की होना पुलिस के समक्ष जाहिर किया गया है, जो घनश्याम ए.एस.आई. के लिखित रिपोर्ट पर अंकित पुलिस पृष्ठांकन में अंकित है। इससे स्पष्ट दर्शित हो रहा है कि घटना के तुरंत पश्चात बिना किसी अनावश्यक विलम्ब के पुलिस को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। इसके साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्य के विश्लेषण एवं विवेचन से यह स्थिति उभरकर सामने आई है कि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत चिकित्सक साक्षी **पी.ड.7** डॉ. महावीर शर्मा जो मृतक मोहम्मद के शव परीक्षण हेतु गठित मेडिकल बोर्ड के सदस्य रहे थे, ने दौराने शव परीक्षण मृतक के शरीर पर गर्दन के दाहिनी तरफ जबड़े की ऐन्गल से 1 सेमी. नीचे और

ठोड़ी से 3.5 सेमी. नीचे एक रगड़ साईज 1x0.5 सेमी. की पाई गई थी और बाद शव परीक्षण मेडिकल बोर्ड की राय में **मृत्यु का कारण दम घुटना व मृत्यु से पूर्व मैनुअल स्ट्रेन्गुलेशन** बतलाया है। इसके अतिरिक्त **पी.ड.1** घनश्याम मीणा द्वारा मृतक का पंचायतनामा लाश प्रदर्श पी.2 तैयार किया गया है, जिसका समर्थन साक्षीगण **पी.ड.2** अली हुसैन, **पी.ड.5** अली असगर ने दौराने अभिसाक्ष्य किया है तथा इस पंचायतनामा प्रदर्श पी.2 में यह राय पंचान स्पष्ट अंकित है कि **मृतक मोहम्मद की मृत्यु गला दबाने व दम घुटने से हुई है, सभी पंचान ने एकराय होकर कहा गया है।** प्रकरण में एफ.एस.एल. रिपोर्ट पत्रावली पर उपलब्ध है, जिसमें निष्कर्ष दिया गया है कि On chemical examination, portions of viscera (1-5) from two packets marked B and A respectively gave negative tests for metallic poisons, ethyl and methyl alcohol, cyanide, alkaloids, barbiturates, tranquillizers and insecticides. इस प्रकार अभियोजन की उक्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर यह तथ्य प्रमाणित होता है कि मृतक मोहम्मद की मृत्यु प्राकृतिक नहीं है तथा किसी जहर, कीटनाशक इत्यादि से भी नहीं हुई है। इस प्रकार मृतक मोहम्मद की मृत्यु असामान्य परिस्थितियों में गला दबाने के कारण दम घुटने से आपराधिक मानववध प्रकृति की रही थी। इस संबंध में यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि चिकित्सक साक्षी पी.ड.7 डॉ. महावीर शर्मा द्वारा प्रतिपरीक्षा में कथन किया गया है कि **यह कहना गलत है कि मृतक की मृत्यु कपड़ा ओढ़ाकर सुलाया गया हो व करवट लेकर कपड़े में लिपट जाने से उसकी मृत्यु हुई हो।** बचाव पक्ष की ओर से दौराने प्रतिपरीक्षा साक्षी से पूछे गए उक्त सुझावात्मक प्रश्न से यह जाहिर हो रहा है कि वे भी मृतक मोहम्मद की मृत्यु दम घुटने से होना तो मान रहे हैं, परंतु दम घुटने की वजह मृतक बच्चे को कपड़ा ओढ़ाकर सुलाए जाने की स्थिति में बच्चे के करवट लेने पर कपड़े में लिपट जाने का तथ्य उनकी ओर से स्थापित करने का प्रयास किया गया है, जिसे चिकित्सक साक्षी द्वारा उक्तानुसार सिरे से खारिज कर दिया गया है। जैसाकि हम ऊपर देख चुके हैं कि चिकित्सकीय साक्ष्य के साथ ही पंचायतनामा लाश प्रदर्श पी.2 में भी पंचान ने गला दबाने का तथ्य जाहिर किया है। इस फर्द में लाश पर चोट अथवा निशानात के विवरण में मृतक मोहम्मद पुत्र अब्बास के दाहिने तरफ दो जगह नाखून के निशान खरोंचनुमा आए हुए होना भी अंकित है। अनुसंधान अधिकारी पी.ड.12 रामकिशन ने दौराने प्रतिपरीक्षा कथन किया है कि **यह कहना गलत है कि बच्चे की लाश पर गला दबाने के निशानात न मिले हों।** पत्रावली पर उपलब्ध मृतक के कुल चार

फोटोग्राफ में से दो फोटोग्राफ्स प्रदर्श पी.25 व 26 में भी निशान साफ दिखाई दे रहा है। इस प्रकार उपलब्ध साक्ष्य से मृतक बालक मोहम्मद की मृत्यु उसका गला दबाए जाने से दम घुटने के कारण होना बखूबी प्रमाणित है।

25. हस्तगत प्रकरण में यह तथ्य स्वीकृत रूप से सामने आया है कि घटना अभियुक्त के किराए के मकान के कमरे के अंदर की है एवं प्रकरण में कोई चक्षुदर्शी साक्ष्य नहीं है, अनुसंधान अधिकारी पी.ड.12 रामकिशन ने दौराने प्रतिपरीक्षा कथन भी किया है कि **यह कहना सही है कि इस प्रकरण में कोई भी चश्मदीद गवाह नहीं है।** इस प्रकार यह प्रकरण परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित रहा है।

सम्माननीय न्यायिक दृष्टांत Hanumant Govind Nargundkar vs State of M.P. (AIR **1952** SC **343)** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य तभी मान्य है, जब सभी कड़ियाँ (links) इतनी पुख्ता हों कि केवल एक ही निष्कर्ष निकल सके कि अभियुक्त ही अपराधी है। यदि कोई और संभावित व्याख्या हो, तो अभियुक्त को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। सम्माननीय न्यायिक दृष्टांत Sharad Birdhichand Sarda vs State of Maharashtra (AIR **1984** SC **1622)** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने "परिस्थितिजन्य साक्ष्य" के लिए निम्निलिखित पाँच सिद्धांत तय किए हैं:-

(1) परिस्थितियां ऐसी हों, जिससे कि अभियुक्त और सिर्फ अभियुक्त का दोषी होना पूर्णतया स्थापित होता हो,

(2) स्थापित किए गए तथ्य इतने संगत, तर्कयुक्त व सिलसिलेवार हों, जिससे सिर्फ अभियुक्त के ही दोषी होने की परिकल्पना की जा सकती हो व अभियुक्त के दोषी होने के अलावा किसी अन्य परिकल्पना का बोध कराने वाला न हो।

(3) परिस्थितियां निश्चायक प्रकृति व प्रवृत्ति की हों।

(4) वे साबित होने वाली परिकल्पना के अलावा अन्य किसी भी परिकल्पना को स्थान न देती हों।

(5) सबूतों की ऐसी पूर्ण व पुख्ता श्रृंखला (कड़ी) होनी चाहिए, जो सभी मानवीय आचरण के परिप्रेक्ष्य में अभियुक्त द्वारा ही कार्य करने की सम्भाव्यता को स्थापित करती हो और उसमें अभियुक्त की निर्दोषिता के संगत निष्कर्ष निकालने का कोई भी उचित कारण न छूट गया हो।

माननीय बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत **एस.सी.सी. 2021 बॉम्बे, पेज-560 संदीप बाबूराव वायडांडे बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र** में यह प्रतिपादित किया है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य में मुख्य रूप से अभियोजन पक्ष को निम्नलिखित परिस्थितियां साबित करनी होती हैं:-

1-अंतिम बार साथ देखे जाने की थ्यौरी (Last Seen Theory)

2-हत्या करने का दुराशय

26. प्रकरण में परीक्षित अभियोजन साक्षीगण की साक्ष्य का सूक्ष्मता से विश्लेषण करने पर यह प्रकट हो रहा है कि हालांकि साक्षिया **पी.ड.4** यास्मीन दौराने अभिसाक्ष्य अभियोजन के निवेदन पर पक्षद्रोही घोषित की गई है, परंतु इससे पूर्व साक्षिया ने अपनी मुख्य परीक्षा में महत्वपूर्ण रूप से यह कथन किए हैं कि उसकी शादी 18 साल पहले अब्बास अली से हुई थी। उसके दो लड़के बडा अजी हशरद, छोटा मोहम्मद हैं। उसके सबसे बड़े लड़के बुराहनुद्दीन का दस साल पहले इंतकाल हो चुका है। उसका पति अब्बास व बच्चे घटना से करीब दो महीने पहले इस्माईल अली के मकान में किराये से रह रहे थे। उस समय उनके परिवार में मोहम्मद भाई जीपवालों के चालीसवें की रस्म होने से बोहरा समाज की मस्जिद में खाने का प्रोग्राम रखा गया था। उसने उसके पति से पूछा कि खाना खाने चलो, तो इसने कहा कि मेरे दस्त लग रहे हैं, मैं खाना खाने नहीं चल सकता हूँ, तुम चली जाओ। वह उसके बड़े लड़के अली हशरद को लेकर मस्जिद में चली गई। **छोटे लड़के मोहम्मद को उसके पति के पास ही छोड़ गई थी।** साक्षी **पी.ड.3** शाकिर हुसैन ने भी पक्षद्रोही घोषित किए जाने से पूर्व मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह मस्जिद में किसी के चालीसवें के खाने में खाना खाने गये थे, जहां उसकी लडकी यास्मीन भी उसके बड़े लड़के अजी हजगर के साथ आई थी। **यास्मीन का छोटा बेटा मोहम्म्द खाना खाने नहीं आया था। मुल्जिम अब्बास मस्जिद में खाना खाने नहीं आया था।** साक्षी पी.ड.2 परिवादी अली हुसैन ने कथन किया है कि उसके बड़े चाचाजी के चालीसवें की फातिहा मस्जिद में थी तो वह और उसका पूरा परिवार मस्जिद में खाना खाने गये थे, यासमीन और उसका बड़ा बेटा अली हजगर भी उनके साथ खाना खाने गया था। **छोटा बेटा मोहम्मद, जो कि एक वर्ष का था, उसके पिता अब्बास के साथ उसके घर पर ही रूक गया था।** इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध साक्षीगण की उक्त साक्ष्य से यह स्पष्टतया प्रकट हो रहा है कि घटनावाले दिन साक्षिया पी.ड.4 यास्मीन अपने छोटे पुत्र मोहम्मद को अपने पति/अभियुक्त अब्बास अली के पास घर पर छोड़कर अपने बड़े लड़के अली असगर के साथ मस्जिद में

चालीसवें की रस्म का खाना खाने गई थी। जहाँ तक छोटे बच्चे को अभियुक्त को सम्भलाए जाते देखने के तथ्य की पुष्टि अन्य किसी साक्षी द्वारा नहीं किए जाने एवं समयांतराल को स्पष्ट नहीं किए जाने के विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा दिए गए तर्कों का प्रश्न है, तो इस संबंध में यह तथ्य गौर करने लायक है कि मामले में अपने रिहायशी मकान में एक पत्नी द्वारा अपने पति को उनके ही लगभग एक वर्षीय अबोध पुत्र को सम्भलाया गया है, ऐसे में अपने घर के अंदर अपने बच्चे को पत्नी द्वारा अपने पति/अभियुक्त को सम्भलाते हुए किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा नहीं देखा जाना प्रकरण की परिस्थितियों में कतई अस्वाभाविक प्रतीत नहीं होता है और इस स्थिति में बच्चे को सम्भलाते हुए देखे जाने की ताईद किसी साक्षी द्वारा प्रकरण में नहीं किए जाने से अभियोजन मामले की विश्वसनीयता पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। जहाँ तक बच्चे को छोड़कर जाने व वापस आने से संबंधित समयांतराल स्पष्ट नहीं किए जाने के तर्क का प्रश्न है, तो यह सही है कि प्रकरण में यास्मीन कितने बजे बच्चे मोहम्मद को पति के पास छोड़कर मस्जिद खाना खाने गई, वह समय जाहिर नहीं किया गया है, परंतु लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी.1 में स्पष्टतया घटना का समय **दो-ढाई बजे** का होना यास्मीन के चचाजात भाई परिवादी ने जाहिर किया है और मृतक की माता यास्मीन के पिता पी.ड.3 शाकिर हुसैन ने भी दौराने मुख्य परीक्षा कथन किया है कि **दो से ढाई बजे करीब मैं खाना खाकर मेरे घर पर चला गया था। थोड़ी देर बाद मेरी बेटी यास्मीन का मेरे पास फोन आया कि मेरा छोटा बेटा मोहम्मद बोल नहीं रहा है।** इस प्रकार यास्मीन का घटनावाले दिन **दो से ढाई बजे दिन में** घर आ जाना प्रकट हो रहा है तथा यहाँ यह तथ्य भी गौर करने लायक है कि साक्षीगण द्वारा मस्जिद में चालीसवें की रस्म का सामूहिक भोजन का कार्यक्रम होना बतलाया है और ऐसे सामूहिक दिन के भोजन के आयोजन सामान्यतया प्रातः 10 बजे के उपरांत ही प्रारम्भ होते हैं, ऐसी स्थिति में प्रकरण में जो समयांतराल निकलकर सामने आता है, वह इतना अधिक नहीं है कि जिसमें अभियोजन कहानी के विपरीत कोई अन्य परिस्थिति निर्मित होकर अभियोजन मामले पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो, विशेषतः जबकि अभियुक्त की ओर से दौराने प्रतिपरीक्षा साक्षीगण से इस तथ्य का खण्डन नहीं कराया गया है कि यास्मीन बच्चे मोहम्मद को उसके पास छोड़कर नहीं गई हो तथा बच्चा उसके घर पर उसकी अभिरक्षा में न रहा हो। न ही अभियुक्त की ओर से अपने धारा 313 द.प्र.सं. के बयान में अथवा साक्ष्य-सफाई प्रस्तुत कर इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार पत्रावली पर आई साक्ष्य से मृतक का उसकी हत्या से

पूर्व आखिरी बार अपने पिता/अभियुक्त के साथ अपने रिहायशी घर में अभियुक्त की अभिरक्षा में रहना बखूबी साबित हो रहा है।

27. हस्तगत प्रकरण में जहाँ तक मृतक की हत्या कारित करने के दुराशय (Motive) का प्रश्न है, तो अभियुक्त अब्बास अली द्वारा उसके छोटे पुत्र मृतक मोहम्मद की हत्या का कारण परिवादी सहित मृतक की माता व उसके परिजनों ने अपने पुलिस बयानों में यह जाहिर किया है कि **अब्बास, लड़के मोहम्मद से नफरत करता था, यास्मीन से झगड़ा करता था और ताने मारता था कि जब से यह लड़का मोहम्मद हुआ है, मेरा धन्धा पानी नहीं चल रहा है। यह मनहूस है, मेरे धन्धे को लड़के की पनौती लग गई है** और यह भी जाहिर किया है कि **करीब दस साल पहले भी इसी प्रकार बड़े लड़के बुरहानुद्दीन की संदिग्ध तरीके से रात को मृत्यु हो गई थी, तब हमने ध्यान नहीं दिया, परंतु उन्हें लगता है कि उसे भी अब्बास ने ही मारा है।** इस संबंध में मृतक की माता यास्मीन के धारा 164 द.प्र.सं. के बयान प्रदर्श पी.11 में भी यह तथ्य अंकित है कि **जब से मोहम्मद पैदा हुआ है, तब से मेरा पति अब्बास मेरे बेटे से नफरत करता था। कहता था कि जब से मोहम्मद हुआ है, तब से मेरा धन्धा नहीं चल रहा है। मुझे पूरा यकीन है कि मेरे बेटे की हत्या मेरे पति अब्बास ने ही की है।** परंतु इस संबंध में दौराने अभिसाक्ष्य न्यायालय में पी.ड.2 परिवादी अली हुसैन ने दौराने प्रतिपरीक्षा यह जाहिर किया है कि अब्बास पर शक होने वाली बात पुलिस के कहने से लिखी थी। अब्बास पत्नी और बच्चों के साथ अच्छे से रहता था। वह अपने दोनों बच्चों और पत्नी से प्रेम करता था। यह सही है कि हमें अब्बास पर पहले भी शक नहीं था और अभी भी शक नहीं है। पुलिस ने हमसे पूछताछ करने पर हमने यही बताया था कि अब्बास पर कोई शक नहीं है। अजखुद कहा कि अगर शक होता तो मेरी बहन अपने बच्चे को घर पर छोड़कर नहीं जाती। साक्षी पी.ड.3 शाकिर हुसैन ने कथन किया है कि यह कहना गलत है कि अब्बास अली बच्चे मोहम्मद को पसंद नहीं करता हो और यास्मीन को ताने मारता हो, झगड़ा करता हो कि यह लड़का मोहम्मद जब से पैदा हुआ है, मेरा धंधा पानी नहीं चल रहा है और इसी कारण अब्बास ने मेरे नवासे को गला दबाकर मार दिया हो। स्वयं कहा कि वह तो बच्चे को बहुत प्रेम करता था, बच्चे को नहला भी देता था और कपड़े भी पहना देता था। पी.ड.4 यास्मीन ने कथन किया है कि मेरे बच्चे मोहम्मद की मृत्यु कैसे हुई, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। पी.ड.6 इस्माईल अली ने कथन किया है कि यास्मीन व अब्बास के बीच अच्छे संबंध थे। अब्बास उसके बच्चों से प्रेम करता था, उन्हें अच्छे से

रखता था। दोनों पति-पत्नी के बीच लड़ाई-झगड़ा मेरे सामने कभी नहीं हुआ। प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि यह कहना गलत है कि मुल्जिम अब्बास अपने बच्चों के साथ झगड़ा करता हो व उनसे मारपीट करता हो। वह अपने बच्चों से बहुत प्रेम करता था। छोटा बच्चा मोहम्मद अक्सर उसके पास ही रहता था। इस संबंध में अनुसंधान अधिकारी पी.ड.12 ने कथन किया है कि यह सही है कि अब्बास अली व इसकी पत्नी के बीच में कभी कोई विवाद रहा हो अथवा घटना के समय कोई विवाद हो, ऐसी कोई बात मेरी तफतीश में नहीं आई। **यह कहना गलत है कि मेरी तफ्तीश में यह आया हो कि अब्बास अली अपने बच्चे को अच्छी तरह रखता हो, खूब प्यार करता हो। <u>अजखुद कहा कि</u> यास्मीन ने अपने बयान में यह बताया था कि अब्बास अपने बच्चे को मनहूस और धन्धे में पनौती लगाने वाला मानता था। बयान यास्मीन धारा 164 सीआरपीसी में यह बताया था कि वह मेरे बेटे से नफरत करता था, जब से पैदा हुआ है, तब से मेरा धन्धा नहीं चल रहा है, ऐसा बोलता था और उससे नफरत करता था।** इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में यह दर्शित हुआ है कि यद्यपि हत्या के दुराशय बाबत लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी.1 में कोई अंकन नहीं है तथा उक्तानुसार परिजन साक्षीगण ने न्यायालय में दौराने अभिसाक्ष्य अभियुक्त के दुराशय बाबत कोई कथन नहीं किए हैं तथा यह न्यायालय विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत सम्माननीय न्यायिक दृष्टांत RCC, Aug. 1987, Page 321, Raju Vs. State में प्रतिपादित इस मत से सहमत है कि धारा 161 व 164 द.प्र.सं. के बयान को केवल कंट्राडिक्शन व कोरोबोरेशन के ही काम में लिया जा सकता है, इनके आधार पर अभियुक्त को दोषी नहीं माना जा सकता है। परंतु बावजूद इसके इस न्यायालय की विनम्र राय में चूँकि हस्तगत प्रकरण में यह तथ्य बखूबी साबित है कि घटना अभियुक्त के किराए के रिहायशी मकान के एक कमरे में घटित हुई है एवं मृतक बालक मोहम्मद घटना से पूर्व अभियुक्त की अभिरक्षा में था तथा उसकी मृत्यु गला घोंटने से हुई है। ऐसे में उक्त परिस्थितियों में दुराशय की साक्ष्य सुदृढ़ रूप में उपलब्ध नहीं होने के बावजूद अभियोजन द्वारा प्रस्तुत कथन भले ही वह पुलिस बयानों एवं 164 द.प्र.सं. के बयान में सामने आए हैं, उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने न्यायिक दृष्टांत **फौजदारी अपील नं. 1117/2011 भगवानदास बनाम दिल्ली राज्य निर्णय दिनांक 09.05.2011 में** स्पष्ट रूप से यह माना है कि धारा 162(1) द.प्र.सं. के प्रोविजो के अनुसार पुलिस बयानों का उपयोग किया जा सकता है। इसी क्रम में यह भी तथ्य महत्वपूर्ण रूप से ध्यान देने योग्य है

कि हस्तगत प्रकरण में लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी.1 में परिवादी ने अपने जीजा अब्बास अली को नामजद करते हुए उसी के द्वारा बच्चे को मारकर भाग जाने का शक जाहिर किया है। अभियुक्त की पत्नी के चचाजात भाई की ओर से अपने बहन के पति/मृतक भांजे के पिता पर घटना के तुरंत पश्चात बिना किसी ठोस आधार व कारण के हत्या करने का शक जाहिर करते हुए पुलिस को मिथ्या रिपोर्ट दी जाए, यह सामान्य परिस्थितियों में स्वाभाविक प्रतीत नहीं होता है। दौराने अभिसाक्ष्य परिवादी ने लिखित रिपोर्ट अपने द्वारा नहीं लिखी जाने एवं पुलिस को प्रस्तुत नहीं किए जाने अथवा पुलिस द्वारा लिखकर उसके मात्र हस्ताक्षर करवा लिए जाने का तथ्य भी जाहिर नहीं किया है, बल्कि अपनी मुख्य परीक्षा में ही स्पष्ट कथन किया है कि बच्चे को लेकर मैं अस्पताल गया था। बच्चे को अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। वहाँ पर पुलिसवाले आ गए थे, जिन्हें **मैंने रिपोर्ट प्रदर्श पी.1 लिखकर दी थी, जिस पर जी-एच स्थान पर मेरे हस्ताक्षर हैं।** यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि यद्यपि परिवादी पी.ड.2 अली हुसैन ने दौराने प्रतिपरीक्षा यह कथन किया है कि अब्बास पर शक होने वाली बात पुलिस के कहने से लिखी थी। इसी प्रकार पी.ड.4 यास्मीन ने दौराने प्रतिपरीक्षा यह कथन किया है कि मजिस्ट्रेट साहब के सामने मैंने पुलिस के कहने से बयान दिए थे, परंतु न्यायालय की विनम्र राय में उक्त दोनों साक्षीगण के उक्तांकित नकारात्मक कथन से अभियोजन मामला विफल नहीं होता है, क्योंकि इसके साथ ही परिवादी पी.ड.2 ने दौराने अभिसाक्ष्य अपनी मुख्य परीक्षा में स्पष्ट कथन किया है कि यास्मीन ने फोन पर उसे कहा कि अब्बास घर पर नहीं है। **आसपास अब्बास को तलाश किया था, परंतु वह नहीं मिला था।** इसने प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि **पुलिसवालों ने पूछा था कि बच्चे का पिता कहाँ है, तो मैंने बताया था कि मुझे जानकारी नहीं है।** पी.ड.4 यास्मीन हालांकि उसके बच्चे मोहम्मद की मृत्यु कैसे हुई, उसे इसकी जानकारी नहीं होना मात्र कथन करती है, परंतु इसने ऐसा कोई कथन नहीं किया है कि उसका पति अब्बास अली घर पर मौजूद रहा हो अथवा उसकी जानकारी में कहीं गया हो। इस प्रकार जबकि पी.ड.4 यास्मीन का अपने लगभग एक वर्षीय पुत्र मोहम्मद को अपने पति/अभियुक्त अब्बास अली के पास घर पर छोड़कर जाने का तथ्य बखूबी साबित रहा है, तब वापसी पर अभियुक्त का घर पर नहीं मिलकर अन्यत्र पलायन कर जाना एवं उक्त साक्षीगण द्वारा दौराने प्रतिपरीक्षा यह स्पष्ट नहीं किया जाना कि अभियुक्त अमुक स्थान पर अमुक कार्य से गया हुआ था, यह परिस्थिति पूर्णरूपेण अभियुक्त की अपराध में संलिप्तता को दर्शाती है, विशेषतः जबकि

अभियुक्त की ओर से भी इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। उक्त समस्त विवेचनोपरांत हस्तगत प्रकरण में यह न्यायालय इस मत का है कि हालांकि अभियोजन परिजन साक्षीगण के पक्षद्रोही होने से न्यायालयीन कथनों के आधार पर अभियुक्त का मोटिव सुदृढ़ रूप से साबित नहीं कर सका है, किन्तु फिर भी अभियुक्त की अभिरक्षा में बालक होने, बंद परिसर में घटना होने, बालक का आपराधिक मानववध होने, अभियुक्त का मौके से पलायन करने तथा अभियुक्त की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिए जाने की सिलसिलेवार परिस्थितियाँ मिलकर मामले में एक पूर्ण श्रृंखला निर्मित करती हैं, जो अभियुक्त के दोषी होने की ओर ही संकेत करती हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **स्टेट ऑफ यू.पी. बनाम बाबूराम 2000, क्रिमिनल लॉ जरनल, पेज-2457** में अभिनिर्धारित किया है कि यदि अभियोजन अपने मामले को किसी आशय पर आधारित करता है और किसी कारणवश अभियोजन, आशय (Motive) साबित करने में अगर असफल भी हो जाता है, तो भी यह अभियोजन के मामले के लिये घातक नहीं माना जा सकता है।

28. जहाँ तक बचाव पक्ष के इस तर्क का प्रश्न है कि प्रकरण में यास्मीन स्वयं कहती है कि मेरे पति ने मेरे बच्चे मोहम्मद को नहीं मारा। कोई ऐसा गवाह नहीं है, जो घटना का आई विटनेस हो। ऐसे में अभियोजन कहानी साबित नहीं होती है। यह सही है कि पी.ड.4 यास्मीन ने यह कथन किया है कि उसके पति ने उसके बच्चे मोहम्मद को नहीं मारा तथा प्रकरण में कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है, परंतु जैसाकि हम देख चुके हैं कि घटना अभियुक्त के रिहायशी घर के अंदर की है, जहाँ अभियुक्त एवं मृतक बालक ही मौजूद थे, इसलिए प्रकरण में घटना घटित होते देखने का कोई चक्षुदर्शी नहीं होना स्वाभाविक है तथा इसी कारणवश इस प्रकरण में परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर विचार किया जा रहा है। साक्षिया पी.ड.4 यास्मीन की यह स्पष्ट साक्ष्य आई है कि वह अपने बच्चे मोहम्मद को उसके पति अब्बास अली के पास छोड़कर मस्जिद में खाना खाने गई थी और वापसी पर उसे उसका बच्चा मृत मिला था, जिसका समर्थन परिवादी सहित उक्त यास्मीन के पिता द्वारा भी किया गया है एवं महत्वपूर्ण रूप से अभियुक्त का मौके से पलायन कर जाना भी सामने आया है, ऐसे में पी.ड.4 यास्मीन द्वारा यह कथन कर देने से कि उसके पति ने उसके बच्चे को नहीं मारा, मात्र इस आधार पर अभियोजन कहानी को नासाबित नहीं माना जा सकता है। अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत सम्माननीय न्यायिक दृष्टांत **2016(2) Cr.L.R. (Raj.) 1030, Narain Versus State of Rajasthan** वाले मामले में परिवादी द्वारा एफ.आई.आर. में

अंकित तथ्यों को नकारते हुए गाँववालों द्वारा रिपोर्ट लिखना तथा उसकी मात्र अंगूठा निशानी होना कहा गया था, जबकि हस्तगत प्रकरण में परिवादी ने रिपोर्ट स्वलिखित होकर हस्ताक्षरित होना कथन किया है, जिसमें बच्चे का अभियुक्त के पास घर पर होना एवं बाद में बच्चा मृत मिलना तथा अभियुक्त का गायब हो जाना व तलाश करने पर भी नहीं मिलना उल्लेखित किया गया है। इसलिए तथ्यों की भिन्नता के कारण उक्त न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण पर चस्पा नहीं होता है। जहाँ तक विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त के इस तर्क का प्रश्न है कि घटना के पश्चात अभियुक्त को घर से जाते समय देखे जाने की कोई साक्ष्य अभियोजन की ओर से प्रस्तुत नहीं की गई है, तो इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि साक्षी पी.ड.6 इस्माईल अली जो कि मकान मालिक है तथा नीचे दुकान लगाता है, द्वारा अपने पुलिस बयान में अभियुक्त को हड़बड़ाहट में घर से जाते देखना बताया गया था, परंतु यह साक्षी न्यायालय में पक्षद्रोही घोषित हुआ है, जिसने उक्त तथ्य का समर्थन नहीं किया है। उल्लेखनीय है कि अभियुक्त उक्त इस्माईल अली के मकान में विगत दो माह से किराए से रह रहा होना प्रकट हुआ है, ऐसे में मकान मालिक एवं आस-पड़ौस में रहने वाले लोगों के लिए अभियुक्त कोई अंजान, अजनबी व्यक्ति नहीं था और निश्चित रूप से इसका अपने रिहायशी मकान में आना-जाना दिन में कई बार लगा रहता होगा, जिस स्थिति में ऐसे व्यक्ति के अपने रिहायशी घर पर आते-जाते समय ध्यान रखकर इसे नोटिस किया जाना लोगों के लिए स्वाभाविक भी नहीं है। ऐसी स्थिति में न्यायालय के विनम्र मत में घटना के पश्चात अभियुक्त को घर से जाते देखने की साक्ष्य नहीं होने से भी अभियोजन मामले पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके साथ ही यहाँ यह उल्लेख करना समीचीन है कि हस्तगत प्रकरण में यद्यपि अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षीगण पी.ड.3 शाकिर हुसैन, पी.ड.4 यास्मीन व पी.ड.6 इस्माईल अली पक्षद्रोही घोषित हुए हैं तथा परिवादी पी.ड.2 अली हुसैन ने कुछ नकारात्मक कथन किए है, परंतु यहाँ यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि आपराधिक मामलों में प्रायः अभियुक्त के निकट परिजन व रिश्तेदार साक्षीगण द्वारा दबाव या डर के कारण अथवा अन्यथा, न्यायालय में सत्यता को छिपा लेना और अभियुक्त के पक्ष में गवाही देने हेतु अभियोजन कहानी को नकारते हुए पक्षद्रोही घोषित हो जाना स्वाभाविक बात है और मात्र इस आधार पर अभियोजन मामले को नासाबित नहीं माना जा सकता है, अपितु ऐसी परिस्थिति में अभियोजन का मामला अन्य सुदृढ़ साक्ष्य पर आधारित रह सकता है, जैसाकि सम्माननीय न्यायिक दृष्टांत **Koli Lakhmanbhai Chanabhai vs.**

State of Gujarat, (1999) 8 SCC 624 में माननीय न्यायालय ने भी माना है कि अभियुक्त के रिश्तेदार गवाहों का hostile हो जाना अस्वाभाविक नहीं है। इसी प्रकार सम्माननीय न्यायिक दृष्टांत **State of Rajasthan vs. Bhawani, (2003) 7 SCC 291** में अभिमत दिया गया है कि यदि अभियुक्त के निकट संबंधी गवाह पलट जाते हैं, तो इसे स्वाभाविक माना जाएगा और अभियोजन अन्य ठोस साक्ष्यों पर आधारित रह सकता है। इसी के साथ पक्षद्रोही साक्षियों की साक्ष्य की विश्वसनीयता के संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टान्त **गुरप्रीतसिंह बनाम हरियाणा राज्य, 2002 क्रि.लॉ.ज. 254 (एससी)** में निम्न मत व्यक्त किया हैः-

A reference in this context may be made to the decision to the Apex Court in State of U.P.v. Ramesh Pd. Mishra, wherein it was held that it is equally settled law that the evidence of a hostile witness would not be totally rejected if spoken in favour of prosecution or accused but it can be subjected to close scrutiny and that portion of the evidence which is consistent with the case of the prosecution or defence may be accepted.

एक अन्य न्यायिक दृष्टांत **कोली लखन भाई बनाम गुजरात राज्य, एससीसी 624, 2000 क्रि.लॉं.ज. 408** में निम्न मत व्यक्त किया हैः-

It is settled law that evidence of hostile witness also can be relied upon to the extent it support the prosecution version. Evidence of such witness cannot be treated as washed off the accused it remains admissible in trial and there is no legal bar to base his conviction upon his testimony if corroborated by other reliable evidence.-

अतः यह सुस्थापित विधि है कि अभियोजन का ऐसा साक्षी जिसे अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है, केवल इस आधार पर उसकी साक्ष्य को नकारा नहीं जा सकता कि उसे पक्षद्रोही घोषित किया गया है। उसकी साक्ष्य के ऐसे भाग पर विश्वास किया जा सकता है, यदि उसकी सम्पुष्टि अन्य साक्ष्यों से होती है।

29. यहाँ यह भी उल्लेख किया जाना समीचीन है कि जब अभियुक्त के द्वारा अपने निजी घर में किसी व्यक्ति की हत्या की जाती है, तब परिवार के अन्य सदस्य एवं पड़ौसी अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य नहीं देते हैं, जिस प्रकार से हस्तगत प्रकरण में भी अभियुक्त के साले परिवादी पी.ड.2 अली हुसैन ने दौराने प्रतिपरीक्षा

अभियोजन कहानी के नकारात्मक कथन किए हैं तथा अभियुक्त का ससुर पी.ड.3 शाकिर हुसैन, अभियुक्त की पत्नी पी.ड.4 यास्मीन व अभियुक्त का मकान मालिक पी.ड.6 इस्माईल अली पक्षद्रोही घोषित हुए हैं। परंतु ऐसी स्थिति में इसका यह अर्थ नहीं है कि जब मकान के अंदर इस प्रकार का अपराध किया जावे, तब अपराधी दण्ड से बच जाएगा, अपितु इस प्रकार के मामलों में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 लागू होगी, जो यह कहती है कि यदि कोई विशेष तथ्य किसी व्यक्ति की जानकारी में है, तब उस तथ्य का सबूत भार उसी व्यक्ति पर होगा। इसी प्रकार जब कोई अपराध घर के अंदर किया जाता है, तब यद्यपि अभियोजन पक्ष पर ही सबूत भार रहता है, किन्तु फिर भी इस प्रकार के मामलो में बचाव पक्ष पर भी यह सबूत भार रहता है कि वे साबित करें कि अभियुक्त के द्वारा उक्त कृत्य नहीं किया गया। अर्थात् ऐसे मामलों में अभियुक्त पर यह सबूत भार रहता है कि वह साबित करे कि उक्त मृत्यु कैसे एवं किन परिस्थितियों में हुई? माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने न्यायिक दृष्टान्त **Trimukh Maroti Kirkan vs State of Maharashtra (2006) 10 SCC 681** में यही मानते हुए निम्न विधि सिद्धान्त प्रतिपादित किया है:-

> *"These crime are generally committed in complete secrecy in-side the house and it becomes very difficult for the prosecution to lead evidence. <u>No member of the family, even if he is a witness of the crime, would come forward to depose against another family member.</u> The neighbours, whose evidence may be of some assistance, are generally reluctant to depose in court as they want to keep aloof and do not want to antagonize a neighbourhood family. The parents or other family members of the bride being away from the scene of commission of crime are not in a position to give direct evidence which may inculpate the real accused axcept regarding the demand of money or dowry and harassment caused to the bride. But, it does not mean that a crime committed in secrecy or inside the house should go unpunished."*

उपरोक्त विधि सिद्धान्त को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने न्यायिक निर्णय **बलराम प्रसाद अग्रवाल बनाम बिहार राज्य व अन्य ए.आई.आर.1997**

एस.सी. 1830 तथा **वेस्ट बंगाल राज्य बनाम मीर मोहम्मद उमर व अन्य (2000)8 एस.सी.सी.382** के मामलों में भी माना है। इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **रामगुलाम चौधरी व अन्य बनाम बिहार राज्य (2001)8 एस.सी.सी.311** के मामले में भी यही माना कि जब अभियुक्त के द्वारा स्पष्टीकरण नहीं दिया जावे, तब यही उपधारणा की जावेगी कि अभियुक्त ने ही हत्या की है।

30. यहाँ यह तथ्य गौर करने लायक है कि परिवादी पी.ड.2 अली हुसैन ने दौराने अभिसाक्ष्य मुख्य परीक्षा में स्पष्ट कथन किया है कि थोड़ी देर बाद मेरे पास यास्मीन का फोन आया। **यास्मीन ने कहा कि अब्बास घर पर नहीं है** और बच्चे के कोई हलचल नहीं है, जिस पर मैं यास्मीन के घर पहुँचा। **हमने आसपास अब्बास को भी तलाश किया, परंतु वह नहीं मिला।** पी.ड.3 शाकिर हुसैन ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि थोड़ी देर बाद मेरी बेटी यास्मीन का मेरे पास फोन आया कि पापा मेरा छोटा बेटा मोहम्मद बोल नहीं रहा है, इसको अस्पताल लेकर चलना है, जिस पर मैं यास्मीन के घर पर गया। जहाँ पर मेरी बेटी घर के बाहर बच्चे को गोद में लिए मिली। **अब्बास वहाँ पर नहीं मिला।** इस प्रकार अभियोजन के उक्त दोनों साक्षीगण ने मौके पर अब्बास का नहीं मिलना एवं महत्वपूर्ण रूप से तलाश करने पर भी इसका नहीं मिलना जाहिर किया है। जैसाकि ऊपर किए गए विवेचनानुसार यह बखूबी साबित परिस्थिति है कि घटना वाले दिन अभियुक्त की पत्नी यास्मीन पी.ड.2 अपने छोटे पुत्र मोहम्मद (मृतक) को अपने रिहायशी कमरे में पति/अभियुक्त अब्बास अली के पास उसकी अभिरक्षा में छोड़कर गई थी तथा मस्जिद से खाना खाकर जब वापस आई, तो अभियुक्त वहाँ उपस्थित नहीं मिला एवं कमरे पर ताला लगा हुआ था। अंदर जाकर चैक करने पर बालक मोहम्मद मृतावस्था में पाया गया। उक्त परिस्थितियों के संबंध में अभियुक्त को अपनी निर्दोषिता साबित करने हेतु बालक मोहम्मद की मृत्यु कैसे, कब व किन परिस्थितियों में हुई तथा वह घर पर ताला लगाकर कब व कहाँ गया था, उक्त समस्त तथ्य जो कि प्रकरण की परिस्थितियों में अभियुक्त के विशेष ज्ञान के प्रतीत हो रहे हैं, के संबंध में स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए था अथवा बरवक्त घटना स्वयं की अन्यत्र उपस्थिति के तथ्य को साबित करवाया जाना चाहिए था, परंतु अभियुक्त की ओर से अपने धारा 313 द.प्र.सं. के परीक्षण के दौरान अथवा बचाव साक्ष्य प्रस्तुत कर ऐसा कोई स्पष्टीकरण या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है, अपितु मात्र साक्षीगण द्वारा झूठ बोलना, स्वयं का निर्दोष होना व झूठा फंसाया जाना कथन किया है एवं साक्ष्य-सफाई प्रस्तुत करने से भी इन्कार किया गया है, जो पर्याप्त

प्रतीत नहीं होता है। यहाँ यह भी तथ्य ध्यान देने योग्य है कि प्रकरण अभियुक्त के लगभग एक वर्षीय अबोध पुत्र मोहम्मद की मृत्यु से संबद्ध रहा है तथा उपलब्ध साक्ष्य से यह प्रकट हुआ है कि अभियुक्त घटना के बाद मौके पर नहीं था एवं तलाश करने पर भी नहीं मिला था, अपना मोबाईल भी कमरे में ही छोड़ गया था एवं बच्चे को कमरे में छोड़कर बाहर से ताला लगाकर चला गया था तथा इसे दिनांक 28.08.2023 को दिन में दो-ढाई बजे घटित घटना के लगभग 24-25 घण्टे बाद दिनांक 29.08.2023 को 5.05 पी.एम. पर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। लगभग एक वर्षीय अबोध पुत्र के पिता का उसकी माता व भाई के उसके साथ नहीं होने की स्थिति में अपना मोबाईल फोन कमरे में ही छोड़कर एवं कमरे पर ताला लगाकर चला जाना और फिर उक्त पुत्र की मृत्यु हो जाने पर उसे अस्पताल ले जाने, वहाँ पुलिस में पिता के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट दर्ज होने, पुत्र का पोस्टमार्टम होने एवं पुलिस द्वारा अनुसंधान कार्यवाही करते रहने के दौरान तक भी उपस्थित नहीं होने का अभियुक्त का आचरण भी गम्भीर रूप से संदिग्ध रहा है। यदि वास्तव में अभियुक्त निर्दोष रहा होता, तो उसके द्वारा उक्तानुसार पलायन नहीं किया जाता तथा अपने छोटे पुत्र की मृत्यु होने की जानकारी होने पर उसे तुरंत प्रभाव से अपनी पत्नी, अन्य बच्चे व परिजनों के पास आकर उनको सांत्वना व सहयोग देना चाहिए था एवं किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बच्चे को मार देने या अन्यथा परिस्थितियों में बच्चे की मृत्यु होने के संबंध में चिकित्सालय व पुलिस में कार्यवाही करनी चाहिए थी, परंतु अभियुक्त द्वारा ऐसा नहीं किया जाना और अभियुक्त की पत्नी के भाई द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट पंजीबद्ध करवाने के तथ्य अभियुक्त की दोषिता की ओर ही संकेत करते हैं, विशेषतः जबकि अभियुक्त की ओर से अपने घर में बच्चे के साथ रहने के दौरान बच्चे की मृत्यु कैसे व किन परिस्थितियों में हुई थी, वह कमरे में मोबाईल छोड़कर व बच्चे को अकेला छोड़कर क्यों व कहाँ गया था, बच्चे की मृत्यु के उपरांत चिकित्सालय व पुलिस में कार्यवाही के बावजूद लगभग 24-25 घण्टे तक अपनी पत्नी व परिजनों के पास उपस्थित क्यों नहीं हुआ एवं पत्नी के चचाजात भाई परिवादी ने उसकी नामजद रिपोर्ट क्योंकर प्रस्तुत की गई, के संबंध में न तो अपने धारा 313 द.प्र.सं. के कथनों में कोई स्पष्टीकरण दिया गया है, न ही स्वयं को अथवा किसी अन्य साक्षी को न्यायालय में परीक्षित करवाकर स्थिति स्पष्ट की गई है।

31. हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त की ओर से अभियोजन साक्षीगण से की गई प्रतिपरीक्षा के अवलोकन एवं दौराने बहस दिए गए तर्कों से यही समक्ष आया है

कि वास्तव में हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त की ओर से अनुसंधान के दौरान रही कमियों व विरोधाभास को आधार बनाकर लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। इस संबंध में यदि अभियुक्त की सूचना व निशादेही पर चाबी बरामद कर कमरे का ताला खोलने एवं मकान मालिक की ओर से कमरे के दूसरे दरवाजे को गेप में से हाथ डालकर खोलने की परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मूल्यांकन किया जावे, तो उक्त कार्यवाही अनुसंधान अधिकारी द्वारा अभियुक्त को अपराध से जोड़ने की एक अतिरिक्त परिस्थिति क्रिएट करने मात्र की प्रतीत हो रही है, क्योंकि वास्तव में मृतक की माता यास्मीन द्वारा मस्जिद से आकर ताला तोड़कर बच्चे के पास पहुँचकर उसे चैक कर लिया गया था, जिसकी पुष्टि घटना के तुरंत पश्चात पुलिस को दी गई लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी.1 से होती है, जिसमें ताला तोड़े जाने का उल्लेख किया गया है। यही नहीं महत्वपूर्ण रूप से पी.ड.2 परिवादी अली हुसैन ने यह कथन किया है कि **यास्मीन ने उसे फोन पर बताया कि बच्चे के कोई हलचल नहीं है** एवं पी.ड.3 शाकिर हुसैन ने भी कहा है कि यास्मीन ने फोन पर बताया कि **मेरा छोटा बेटा बोल नहीं रहा है**, फिर वह यास्मीन के घर गया तो उसे उसकी बेटी घर के बाहर बच्चे को गोद में लिए मिली। अर्थात इन दोनों साक्षीगण के पहुँचने से पूर्व यास्मीन कमरे में प्रवेश कर बच्चे को चैक कर गोद में लेकर बैठ गई थी। इसलिए लिखित रिपोर्ट में अंकित ताला तोड़ देने के तथ्य एवं उक्त साक्षीगण द्वारा दौराने अभिसाक्ष्य जाहिर उक्त तथ्यों से मकान मालिक की ओर से हाथ डालकर दूसरे दरवाजे को खोलने एवं अभियुक्त से बरामद चाबी से ताला खोलने की साक्ष्य विश्वसनीय नहीं रह जाती है, ऐसा इसलिए भी क्योंकि अनुसंधान अधिकारी पी.ड.12 रामकिशन ने दूसरे दरवाजे को नक्शा-मौकों प्रदर्श पी.7 व 15 में दर्शाया ही नहीं है। चाबी का फर्द बरामदगी नक्शा-मौका भी नहीं बनाया है। नक्शा-मौका प्रदर्श पी.15 में जिस पत्थर के नीचे से चाबी अभियुक्त द्वारा बरामद करना बतलाया गया है, उसे भी दर्शित नहीं किया है। मौतबिर साक्षीगण पी.ड.8 सांवरमल व पी.ड.9 राजेश कुमार के बयान भी एकरूपता लिए हुए नहीं हैं। यही नहीं प्रकरण की परिस्थितियों में जबकि अभियुक्त द्वारा अपने पुत्र की कमरे में हत्या कर दी गई थी और वह कमरे में बाहर से ताला लगा चुका था, तो ऐसे में चाबी को अपने साथ नहीं ले जाकर वहीं पत्थर के नीचे छिपाना कतई अस्वाभाविक, समझ से परे एवं निरर्थक कृत्य होकर यह मात्र प्रकरण में एक अतिरिक्त परिस्थितिजन्य साक्ष्य क्रिएट करने का प्रयास प्रतीत होता है। अनुसंधान अधिकारी पी.ड.12 रामकिशन ने दौराने प्रतिपरीक्षा यह कथन किया है कि यह सही है कि मैंने यास्मीन से यह नहीं

पूछा कि जब वह खाना खाने गई थी, तब वह कितने घण्टे रुकी थी। यह कहना सही है कि दौराने अनुसंधान मुझे ऐसा गवाह नहीं मिला, जिसने घटना के दिन अब्बास अली को घर से बाहर जाते हुए देखा हो, जबकि इस्माईल अली पी.ड.2 के पुलिस बयान में अंतिम पंक्ति में यह स्पष्ट आया है कि मैंने अब्बास अली को हड़बड़ाहट में घर से जाते हुए देखा था, तब मैं मेरी दुकान पर बैठा हुआ था। अनुसंधान अधिकारी ने यह भी कहा है कि मुझे आज याद नहीं है कि मालखाना में माल मैंने जमा कराया हो। यह सही है कि जब्तशुदा फोन की कॉल डिटेल मेरे द्वारा क्यों नहीं ली गई, मैं नहीं बता सकता। घटना के समय मुल्जिम की लोकेशन के संबंध में मोबाईल के आधार पर कोई सीडीआर मैंने नहीं ली थी। नक्शा-मौका प्रदर्श पी.15 बनाते समय मैंने चाबी से ताला नहीं खोला था। ताला व गेट को हालात मौका में नहीं दर्शाया है। यह सही है कि मैंने किसी भी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के संबंध में धारा 65बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण-पत्र पत्रावली में पेश नहीं किया है। फोटोग्राफी घनश्याम एएसआई के मोबाईल से करवाई थी। यह सही है कि मैंने घनश्याम एएसआई के बयान नहीं लिए तथा न ही उसके द्वारा कोई धारा 65बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण-पत्र प्राप्त किया। सीडी घनश्याम एएसआई ने बनाई थी, इस बाबत कोई प्रमाण-पत्र पेश नहीं किया है। इस प्रकार यद्यपि अनुसंधान अधिकारी के उक्त कथनों से उसकी साक्ष्य में विरोधाभास व विचलन होकर प्रकरण में उक्त कमियां अवश्य उजागर हुई हैं, परंतु यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि मात्र जाँच में त्रुटियाँ अथवा कमियाँ, यदि वे अभियोजन के मूल कथानक को प्रभावित नहीं करतीं, तो वे अभियुक्त को स्वतः लाभ प्रदान करने का आधार नहीं बन सकतीं। हस्तगत प्रकरण में अभियोजन द्वारा मूल तथ्य कि मृतक बालक मोहम्मद घटना से पूर्व अभियुक्त की अभिरक्षा में था, उसकी मृत्यु गला घोंटने से हुई, घटना एक बंद कमरे में घटी, अभियुक्त मौके से पलायन कर गया तथा अभियुक्त द्वारा कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया, को बखूबी साबित कर दिया गया है, ऐसे में कमरे में प्रवेश के तरीके के संबंध में विद्यमान असंगतियाँ एवं इससे संबंधित तुच्छ विरोधाभास इस मूल तथ्य को खण्डित नहीं करते हैं। वैसे भी विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि यदि अनुसंधान में किसी प्रकार की कोई कमी रह गई है, तो उसका लाभ अभियुक्तगण को नहीं दिया जा सकता। उक्त के संबंध में निम्नलिखित सम्माननीय न्यायिक दृष्टांत न्यायालय का मार्गदर्शन करता है:-

2000 SCC (Cri.) 522, Ambika Prasad & Anr. Vs State (Delhi Administration)

Hon'ble Supreme Court has held that evidence of injured witnesses corroborated by medical evidence established the prosecution

case, Such evidence cannot be discarded merely because of non-examination of investigating officer. Defective investigation or negligence of investigating officer should not result in acquittal of accused when prosecution case is otherwise established. Non-examination of independent witness cannot be a ground for rejecting evidence of witnesses who were injuried in the occurrence.

आपराधिक मामलों में गणित के समान पुष्टि की अपेक्षा नहीं की जा सकती। यदि अन्वेषण में कोई कमी भी रह गई हो तो भी उसका कोई लाभ अभियुक्तगण को प्राप्त नहीं होता। उक्त के संबंध में निम्नलिखित सम्माननीय न्यायिक दृष्टांत न्यायालय का मार्गदर्शन करता हैः-

Leela Ram v. State of Haryana and Anr. 2000 SCC (Cri.) 222

Hon'ble Supreme Court has held that irregularity or illegality during the investigation does not constitute a ground to reject the prosecution Case. In Criminal cases corroboration with mathematical niceties should not be expected.

32. जहाँ तक विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा दिए गए तर्कों एवं प्रस्तुत अन्य न्यायिक दृष्टांतों का प्रश्न है, तो विद्वान अधिवक्ता द्वारा एक तर्क यह भी दिया गया है कि अभियोजन कहानी के अनुसार अभियुक्त अपना धन्धा-पानी नहीं चलने की वजह से अपने छोटे पुत्र मोहम्मद को मनहूस/पनौती मानकर उससे नफरत करता था, यदि ऐसा होता तो मृतक की माता, अपने पुत्र मोहम्मद को अपने पति/अभियुक्त के पास छोड़कर जाती ही नहीं। वस्तुतः उक्त तर्क अभियुक्त द्वारा अपने पुत्र की हत्या के मोटिव से संबद्ध है, जिसके संबंध में हम पूर्व में विस्तृत विवेचन कर इसे निष्कर्षित कर चुके हैं। उक्त दिए गए तर्क के संबंध में यह न्यायालय इस मत का है कि कोई भी पत्नी, अपने पति द्वारा उनके अपने पुत्र से नफरत करने का तथ्य ज्ञान में होने पर भी पति द्वारा अधिकतम उस बच्चे की सही से देखभाल नहीं करने, उसके खान-पान, चिकित्सा इत्यादि पर ध्यान नहीं देने एवं उसे डांटने-फटकारने के साथ साधारण मारपीट करने के कृत्यों को ही सम्भावित परिणाम समझ सकती है, परंतु पति द्वारा सभी सीमाएं लांघकर उक्त सम्भावित पारिणामिक कृत्यों से भी आगे जाकर अपने ही लगभग एक वर्षीय अबोध, मासूम बच्चे की हत्या कर दी जावेगी, इसका आभास मृतक की माता/अभियुक्त की पत्नी को नहीं होना पूर्णतः स्वाभाविक परिस्थिति है। अतः विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से दिया गया उक्त तर्क प्रकरण की परिस्थितियों में सारहीन प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत सम्माननीय न्यायिक दृष्टांत **2016(4) Cr.L.R. (Raj.) 1983, Sandi Ram**

@ Sanda Versus State of Rajasthan से हम सहमति व्यक्त करते हैं कि पुलिस द्वारा घटनास्थल का नक्शा-मौका प्रदर्श पी.7 पूर्व में बनाया जा चुका था, इसलिए बाद में अभियुक्त की सूचना के आधार पर बनाया गया फर्द तस्दीक नक्शा-मौका प्रदर्श पी.15 महत्व नहीं रखता है। इसी क्रम में धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचनाओं के संबंध में प्रस्तुत सम्माननीय न्यायिक दृष्टांतों **2019(1)** Cr.L.R. **(Raj.) 534,** Sharvan Ram Nayak Versus State of Rajasthan, **2016(1)** Cr.L.R. **(Raj.) 303,** Surjeet @ Billu & Anr. Versus State of Rajasthan **व 2015(3)** Cr.L.R. **(Raj.) 1099,** Anil Kumar Versus State of Rajasthan में प्रतिपादित मतों से भी हम सादर सहमति रखते हैं तथा हस्तगत प्रकरण में जैसाकि हम ऊपर मान चुके हैं कि सूचना प्रदर्श पी.21 के आधार पर बनाया गया तस्दीक नक्शा-मौका प्रकरण में कोई महत्व नहीं रखता है तथा सूचना प्रदर्श पी.22 के आधार पर की गई चाबी बरामदगी की कार्यवाही को भी अनुसंधान अधिकारी द्वारा परिस्थितिजन्य साक्ष्य क्रिएट करना हमने माना है। न्यायिक दृष्टांत **राजस्थान राज्य बनाम महेश कुमार उर्फ महेश धौलपुरिया और अन्य** से भी हम सहमत हैं, क्योंकि प्रकरण में न्यायालय द्वारा इसी प्रकार की परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर विचार किया गया है, जिससे अभियुक्त का निश्चित रूप से दोषी होना साबित होता हो। न्यायिक दृष्टांत **पूरनमल बनाम राजस्थान राज्य** Decided on **16.03.2026 (S.C.)** से भी हम सादर सहमति रखते हैं तथा हम ऊपर यह मान चुके हैं कि अभियुक्त से कथित चाबी की बरामदगी की परिस्थितिजन्य साक्ष्य अनुसंधान अधिकारी द्वारा क्रिएट की गई है एवं कमरे में अतिरिक्त दरवाजे का तथ्य भी प्रमाणित नहीं है, जिनसे संबंधित ही वीडियोग्राफी की सीडी है। न्यायिक दृष्टांत **2019(3)** WLC **(Raj.) 196** RAJASTHAN HIGH COURT [JODHPUR] TULSI RAM @ SURESH Versus STATE OF RAJASTHAN में प्रतिपादित मत से हम पूर्णतया सहमत हैं तथा पूर्व में हम मान चुके हैं कि अभियुक्त से चाबी बरामदगी की साक्ष्य अनुसंधान अधिकारी द्वारा क्रिएट की गई है। सम्माननीय न्यायिक दृष्टांत **2023** Cr.L.R. **(SC) 579,** Dinesh Kumar Versus State of Haryana **व 2014** SAR (Criminal) **445** Supreme Court, Kanhaiya Lal Versus State of Rajasthan में प्रतिपादित मतों से हम सादर सहमत हैं कि धारा 106 साक्ष्य अधिनियम तभी प्रभाव में आएगी, जब अभियोजन द्वारा अन्य तथ्य को साबित कर दिया गया हो और अंतिम बार देखे जाने की साक्ष्य अपने-आप में निर्णायक परिस्थिति नहीं होती है, जिसके आधार पर अभियुक्त ने ही अपराध किया है, का निष्कर्ष निकाला जा सके। हस्तगत

प्रकरण में last seen कोई एकमात्र परिस्थिति नहीं है, अपितु इसके साथ अन्य महत्वपूर्ण सिलसिलेवार परिस्थितियाँ भी स्थापित हैं, जैसे कि मृतक बालक का घटना से पूर्व अभियुक्त की अभिरक्षा में होना, घटना का बंद परिसर में घटित होना, मृत्यु का आपराधिक मानववध होना, अभियुक्त का घटना के पश्चात पलायन कर जाना तथा अभियुक्त द्वारा इस संबंध में कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत न किया जाना। इन परिस्थितियों का संयुक्त प्रभाव यह है कि last seen केवल एक प्रारंभिक कड़ी न रहकर एक सुदृढ़ श्रृंखला का अभिन्न अंग बन जाता है, विशेषतः जबकि घटना ऐसे स्थान पर घटित हुई हो, जहाँ बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश की संभावना नगण्य है, तब अभियुक्त का मौन (failure to explain) उसकी दोषिता के तथ्य को और अधिक सुदृढ़ करता है। अतः हस्तगत प्रकरण में last seen साक्ष्य को अन्य परिस्थितियों से पृथक कर नहीं देखा जा सकता, बल्कि उनका समेकित मूल्यांकन करने पर यह एक पूर्ण एवं सुसंगत श्रृंखला का निर्माण करता है, जो अभियुक्त के दोषी होने की ओर ही संकेत करती है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध उक्त समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के विश्लेषण एवं सम्माननीय न्यायिक दृष्टांतों की रोशनी में इस न्यायालय के विनम्र मत में अभियोजन पक्ष यह संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 28.08.2023 को 14 बजे से 14.30 बजे के बीच खानपुर में अपने छोटे लड़के मोहम्मद की मृत्यु कारित करने के आशय व ज्ञान के साथ उसका गला घोंटकर उसकी मृत्यु कारित कर हत्या की, लिहाजा अभियुक्त उस पर आरोपित आरोप धारा 302 भा.द.सं. के अपराध में दोषसिद्ध किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अतः अभियुक्त **अब्बास अली** पुत्र जोयब अली बोहरा, आयु 44 वर्ष, निवासी-नीमच, पुलिस थाना-नीमच, जिला-नीमच, हाल-पुराना बस स्टेण्ड खानपुर, पुलिस थाना-खानपुर, जिला-झालावाड़ (राज.) को धारा **302 भा.द.सं.** के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोप में **दोषसिद्ध** किया जाता है। अभियुक्त पूर्व से न्यायिक अभिरक्षा में है।

(आलोक सुरोलिया)
सेशन न्यायाधीश,
झालावाड़ (राज.)

<u>दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई एवं दण्डादेशः-</u>

दण्ड के प्रश्न पर उभय पक्ष को सुना गया। विद्वान अधिवक्ता, अभियुक्त का तर्क है कि यह अभियुक्त का प्रथम अपराध है, वह काफी लम्बे समय से प्रकरण

की अन्वीक्षा भुगत रहा है और अभिरक्षा में भी चल रहा है। अतः उसके प्रति नरमी का रूख अपनाया जावे। जबकि इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने उक्त तर्कों का विरोध करते अभियुक्त को कठोरतम दण्ड से दण्डित किए जाने का निवेदन किया।

(2) हमने उभय पक्ष के तर्कों पर विचार किया तथा पत्रावली का पुनः ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि अभियुक्त द्वारा हत्या कारित करने का आपराधिक कृत्य एक पूर्णतः निरपराध एवं असहाय लगभग एक वर्षीय बच्चे के विरुद्ध किया गया है, जो स्वयं अपनी रक्षा करने में असमर्थ था। अभियुक्त, जो मृतक बच्चे का पिता एवं स्वाभाविक संरक्षक था एवं उसी पर बच्चे की सुरक्षा एवं संरक्षण का सर्वोच्च दायित्व था तथा जिसे मृतक की माता द्वारा बच्चे का पिता व संरक्षक जानते हुए विश्वास कर अपने मासूम बच्चे को उसके पास छोड़ा गया था। अभियुक्त द्वारा मृतक की माता के विश्वास का उल्लंघन करते हुए किया गया उक्त अपराध न केवल गम्भीर एवं अमानवीय है, बल्कि समाज की नैतिक एवं पारिवारिक संरचना पर भी गंभीर आघात है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **2010 Cr.L.J. 1440 SC, Mulla & Anr. V. State of U.P.** में अभिनिर्धारित किया गया है कि किसी भी प्रकरण में अभियुक्त को दण्ड आरोपित करते समय न्यायालय को समाज के हितों को भी ध्यान में रखना चाहिए। उचित दण्ड, अपराध को रोकने में अत्यंत सहायक होते हैं। अभियुक्त पर उचित दण्ड आरोपित करना न्यायालय का समाज के प्रति दायित्व का निर्वहन है। न्यायालय की विनम्र राय में यह प्रकरण विरल से विरलतम श्रेणी का तो नहीं है, ऐसी स्थिति में उपरोक्त समस्त तथ्यों और परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को निम्न प्रकार दण्डादिष्ट किया जाता है।

दण्डादेश

(3) फलतः अभियुक्त **अब्बास अली** पुत्र जोयब अली बोहरा, आयु 44 वर्ष, निवासी-नीमच, पुलिस थाना-नीमच, जिला-नीमच, हाल-पुराना बस स्टेण्ड खानपुर, पुलिस थाना-खानपुर, जिला-झालावाड़ (राज.) को धारा 302 भा.द.सं. के अपराध में **आजीवन कारावास एवं 10,000/-रूपये अर्थदण्ड, अदम अदायगी अर्थदण्ड एक वर्ष के अतिरिक्त कठोर कारावास से दण्डित किया जाता है।**

(4) इस प्रकरण में अभियुक्त द्वारा अन्वेषण, जाँच एवं विचारण के दौरान पुलिस एवं न्यायिक अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि को धारा **428 द.प्र.सं.** के प्रावधानान्तर्गत मूल सजा में समायोजित की जावे।

(5) उपरोक्तानुसार अभियुक्त का सजा वारण्ट तैयार किया जावे।

(6) पीड़ित प्रतिकर योजना के अन्तर्गत पीड़ित पक्ष को क्षतिपूर्ति दिलवाए जाने बाबत यह मामला उपयुक्त प्रतीत होता है। अतः प्रकरण में मृतक मोहम्मद की माता **पी.ड.4 यास्मीन** को उक्त स्कीम के तहत प्रतिकर दिलाए जाने की जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, झालावाड़ को अनुशंसा की जाती है। इस निर्णय की प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, झालावाड़ को भिजवाई जावे।

(7) प्रकरण में संबंधित पुलिस स्टेशन/कार्यालय के मालखाने में पडी जब्तशुदा सामग्री (यदि कोई हो) का निस्तारण सामान्य नियम (सिविल/आपराधिक) 2018 के अनुसार/नियमानुसार अपील अवधि समाप्त होने के बाद या अपील होने की सूरत में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश के अधीन किया जाएगा।

(8) अब अभियुक्त, अपील होने की अवस्था में माननीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थिति बाबत धारा 437ए द.प्र.सं. के तहत 50-50 हजार रुपये के जमानत-मुचलके पेश करे, जो निर्णय की दिनांक से आगामी छः माह की अवधि के लिए प्रवर्तन में रहेंगे।

(9) धारा **363 द.प्र.सं.** के अनुसरण में अभियुक्त को उक्त निर्णय की प्रति निःशुल्क प्रदान की जावे।

(10) हस्तगत प्रकरण में उपरोक्त किए गए विवेचन से यह प्रकट हुआ है कि प्रकरण में अनुसंधान तत्कालीन थानाधिकारी खानपुर श्री रामकिशन द्वारा किया गया था, जिसने निर्णय के **पैरा सं.31** में वर्णितानुसार त्रुटियाँ अथवा कमियाँ रखी गई हैं तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत विरोधाभासी व विचलनयुक्त कथन दौराने अभिसाक्ष्य किए गए हैं। इस प्रकार यह प्रतीत हो रहा है कि अनुसंधान अधिकारी ने साक्ष्य को कमजोर करने और जानबूझकर विरोधाभास पैदा कर न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास किया है। अतः इस निर्णय की प्रति पुलिस अधीक्षक, झालावाड़ को उक्त रामकिशन के विरुद्ध विभागीय जाँच करने तथा जाँच के निष्कर्ष से इस न्यायालय को अवगत कराए जाने हेतु प्रेषित की जावे।

(आलोक सुरोलिया)
सेशन न्यायाधीश
झालावाड (राज.)

33. निर्णय व दण्डादेश आज दिनांक **07.05.2026** को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर हस्ताक्षरित कर सुनाया गया।

(आलोक सुरोलिया)
सेशन न्यायाधीश
झालावाड (राज.)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि निर्णय में किये गये सभी संशोधनो को अपलोड करने से पूर्व समाविष्ट कर लिया गया है।

(शकील मोहम्मद)

स्टेनो ग्रेड-I

नोटः यह प्रतिलिप प्रार्थी/अधिवक्ता की जानकारी के लिए है। सत्यापित प्रतिलिपि न्यायालय से प्राप्त कर सकते है।

PP

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.05.14 07:58:33 IST